राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

जयपुर के

समक्ष

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

(राजस्थान सरकार का एक उपक्रम)

द्वारा

विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए

समग्र राजस्व आवश्यकता

के अनुमोदन हेतु

दायर याचिका

(विव 2014–15 से विव 2018–19 तक की बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रणावधि का तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष)

जनवरी, 2017

टिप्पणियां :

इस आवेदन में :

(एन–1) वर्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 (विव 16 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित

(एन) वर्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 (विव 17 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित

(एन + 1) वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 (विव 18 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित

इस आवेदन में उपयोग में आये सभी मौद्रिक आंकड़े, जब तक कि विशिष्टतः अन्यथा उल्लिखित न हो, करोड़ रू. में है।

इस आवेदन में उपयोग में आयी सभी ऊर्जा इकाइयां, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, मिलियन इकाइयों में है।

संक्षेपणों की सूची

आवेदन	विव 2014–15 के लिए बवटै के अनुमोदन हेतु आवेदन
जोधपुर डिस्कॉम, जोविविनिलि	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वाराआ	वार्षिक राजस्व आवश्यकता
बवटै	बहुवर्षीय टैरिफ
प्रआटै	प्रपुंजापूर्ति टैरिफ
सेकलाउयो	सेवा कनेक्शन एवं लाईनों के लिए उपभोक्ताओं का योगदान
सीपीपी	केप्टी पॉवर प्लांट
घसे	घरेलू सेवा
अउआ	अतिरक्त उच्च आतति
विअ 2003	विद्युत अधिनियम, 2003
विपुयो	वित्तीय पुनर्संरचना योजना
विव	वित्तीय वर्ष
विव 16	वित्तीय वर्ष 2015–16
विव 17	वित्तीय वर्ष 2016–17
विव 18	वित्तीय वर्ष 2017–18
सस्थाप	सकल स्थाई परिसम्पत्तियां
भास	भारत सरकार
रास	राजस्थान सरकार
ग्रिसस्टे	ग्रिड सब स्टेशन
उआ	उच्च आतति
किवोए	किलो वोल्ट एम्पीयर
किवा	किलोवाट
किवाध	किलोवॉट घण्टा या इकाई
निआ	निम्न आतति
अमांसू	अधिकतम मांग सूचक
मऔश	मध्यम औद्योगिक शक्ति
मि.यू.	मिलियन यूनिट
अघसे	अघरेलू सेवा
नि.स्था.परि.	निवल स्थाई परिसम्पत्तियां
भानाविनिलि	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.
राजविनि	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
उक्षेभाप्रेके	उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
राताविनि	राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम
भाग्रिविनिलि	भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड
साजदा	सार्वजनिक जलदाय
राविविआ/आयोग	राजस्थान राज्य विनियामक आयोग
राविप्रनिलि	राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
राविउनिलि	राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

ग्राविनि	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
रू.	भारतीय रूपये
राराविम / म.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
लऔश	लधु औद्योगिक शक्ति
सअमा	समानान्तर अधिकतम मांग
राभाप्रेके	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
रा.प्र.	राज्य प्रसारण यूटिलीटि
गै–अवि	गैर– अनुसूचित विनिमय
याचिकाकर्ता / यूटिलीटि	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़

विषय वस्तु की सारणी

अ 1:	**विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए प्रक्षेपण**		**9**
अ 2:	**विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा विक्रय तथा आवश्यकता**		**10**
		विगत वर्षों का ऊर्जा विक्रय	11
		कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य श्रेणियों के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण	12
		विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए विक्रय का प्रक्षेपण	12
		कृषि उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण	14
		कृषि मीटरित श्रेणी	14
		कृषि फ्लेट (अमीटरित) श्रेणी	15
		विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा विक्रय प्राक्कलनों का सारांश	17
		वित वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 की अवधि के लिए वितरण हानि	17
		विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा आवश्यकता	18
अ 3:	**विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए विद्युत क्रय मात्रा तथा लागत**		**20**
		ऊर्जा उपलब्धता तथा ऊर्जा संतुलन	20
		ऊर्जा उपलब्धता	20
		विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा संतुलन	22
		विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए विद्युत क्रय लागत	22
		स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभार	22
		प्रसारण तथा राभाप्रेके प्रभार	23
		कुल विद्युत क्रय लागत	23
अ 4:	**पूंजी निवेश प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य तथा पूंजीकरण**		**25**
अ 5:	**विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता**		**26**
		परिचालन एवं संधारण व्यय	26
		बीमा व्यय	27
		सेवान्त लाभ	27
		दीर्धकालीन ऋणों, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज एवं अन्य वित्त प्रभार	28
		विगत वर्षों के लिए अनिधिबद्ध राजस्व अन्तर पर ब्याज	29
		कार्यशील पूंजी पर ब्याज	31

		ह्रास	31
		साम्या पर प्रतिफल	32
		गैर– टैरिफ आय तथा अन्य आय	32
		विलम्ब शुल्क पर वित्त पोषण हेतु ब्याज	32
		विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता	34
अ 6:	**विद्यमान टैरिफ से राजस्व तथा राजस्व धाटा**		35
		राज्य सरकार से सहायिकी	35
		विद्यमान टैरिफ पर राजस्व धाटा	36
अ 7:	**राजस्व घाटे का उपचार**		37
		टैरिफ युक्तिकरण	41
		लोड फैक्टर छूट	41
		पावर फैक्टर छूट	42
		वोल्टेज छूट	43
		घरेलू सेवा (श्रेणी डीएस/एलटी–I)	44
		शीघ्र भुगतान छूट	44
		अस्थाई आपूर्ति के लिए टैरिफ	44
		एच टी उपभोक्ताओ के लिए संविदा मांग से अधिक मांग की धारा	44
अ 8:	**दिनांक 22 सितम्बर 2016 के टैरिफ आदेश में माननीय आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना**		**46**
अ9:	**प्रार्थना**		**52**

सारणियों की सूची

सारणी–1	ऊर्जा विक्रय में विगत प्रवृति	11
सारणी–2	विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए श्रेणीवार प्रक्षेपित विक्रय	12
सारणी–3	कृषि मीटर प्रति उपभोक्ता प्रक्षेपित सम्बन्ध भार	15
सारणी–4	कृषि मीटर श्रेणी के लिए प्रक्षेपित प्रति वर्ष विशिष्ट उपभोग	15
सारणी–5	कृषि मीटर श्रेणी के अनुमानित उपभोक्ता संख्या	15
सारणी–6	कृषि मीटर श्रेणी का प्रक्षेपित उपभोग	15
सारणी–7	कृषि फ्लेट दर के लिए प्रति उपभोक्ता प्रक्षेपित सम्बध भार (कि.वा.)	16
सारणी–8	कृषि फ्लेट दर श्रेणी में उपभोक्ताओं की प्रक्षेपित संख्या	16
सारणी–9	कृषि फ्लेट रेट उपभोग का प्रक्षेपण	17
सारणी–10	वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए प्रक्षेपित विक्रय(मि.यू.)	17
सारणी–11	वितरण हानि कम करने का प्रस्ताव	18
सारणी–12	वितरण हानियां तथा राविप्रनि के अन्तरापृष्ठ पर ऊर्जा आवश्यकता	19
सारणी–13	अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व विव 2016–17 तथा 2017–18	21
सारणी–14	विव 2016–17 और विव 2017–18 के लिए ऊर्जा की उपलब्धता (मि.यू.)	21
सारणी–15	स्त्रोतवार ऊर्जा विव 2016–17 और विव 2017–18 के लिए (मि.यू.)	22
सारणी–16	विव 2016–17 और विव 2017–18 के लिए ऊर्जा संतुलन	22
सारणी–17	विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए प्रसारण तथा राभाप्रेके प्रभार	23
सारणी–18	विव 2016–17 और विव 2017–18 के लिए विधुत क्रय लागत (करोड रू.)	23
सारणी–19	विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए अधिशेष/धाटा लेखा (करोड़ रू.)	24
सारणी–20	विव 17 तथा विव 18 के लिए पूंजी निवेश, प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य तथा पूंजीकरण (करोड रू.)	25
सारणी–21	विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए प्रतिमानित प्रचालन एवं संधारण व्यय दर	26
सारणी–22	विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए परिचालन एवं संधारण व्यय	26
सारणी–23	विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए बीमा व्यय(करोड़ रू.)	27
सारणी–24	विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए सेवान्त लाभ (करोड़ रू.)	27
सारणी–25	दीर्धकालीन ऋणों, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रू.)	28
सारणी–26	अनिबद्ध राजस्व अन्तर, वित्त वर्ष 17 एवं 18 हेतु	30
सारणी–27	विगत वर्षों के अनिधिबद्ध राजस्व अन्तर पर ब्याज दायित्व (करोड़ रू.)	30
सारणी–28	कुल ब्याज तथा वित्त व्यय (करोड़ रू.)	30
सारणी–29	विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज(करोड़ रू.)	31
सारणी–30	विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ह्रास (करोड़ रू.)	32
सारणी–31	डीपीएस पर वित पोषण हेतु ब्याज विव 2016–17 तथा विव 2017–18	33
सारणी–32	गैर टैरिफ आय, विधुत परिवहन आदि से आय विव 17 तथा विव 18	33
सारणी–33	विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता	34
सारणी–34	वर्तमान टैरिफ पर विधुत विक्रय से राजस्व (करोड़ रू.)	35
सारणी–35	राज्य सरकार द्वारा सहायिकी (करोड़ रू.)	36

सारणी–36	विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए विद्यमान टैरिफ पर राजस्व घाटा	36
सारणी–37	निर्देशों की अनुपालना	46

अ 1. विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए प्रक्षेपण

1.1 विद्युत अधिनियम की धारा 61 राज्य विनियामक आयोग (इस मामले में राविविआ) को टैरिफ के विनिर्धारण की निबन्धन व शर्तें निर्धारित करने के लिए सशक्त करती है तथा निर्धारित करती है कि ऐसा किये जाने में आयोग अन्य बातों के साथ बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों धारा 61(एफ) से नियंत्रित होगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में याचिकाकर्ताओं के लिए विनियम विहित करते समय राज्य आयोग केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) द्वारा विहित विनियमों से भी नियंत्रित होगा।

1.2 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राविविआ) ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2014, 27 मार्च 2014 को विव 2014–15 से विव 2018–19 की तृतीय नियंत्रणावधि के लिए अधिसूचित किये। द्वितीय नियंत्रणावधि समाप्त होने के बाद 1 अप्रेल, 2014 से विव 2014–15 से विव 2018–19 तक की तृतीय बहुवर्षीय नियंत्रणावधि शुरू हुयी।

1.3 राविविआ ने नियंत्रणावधि विव 2014–15 से विव 2018–19 के द्वितीय विव वर्ष 2015–16 के लिए टैरिफ आदेश 22 सितम्बर 2016 को अधिसूचित किया।

1.4 राविविआ टैरिफ विनियम 2014 का विनियम 11 (1) निर्धारित करता है कि याचिकाकर्ता समग्र राजस्व आवश्यकता के पूर्वानुमान, विद्यमान टैरिफ से प्रत्याशित राजस्व तथा नियंत्रणावधि के आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित टैरिफ, प्रयोज्य शुल्क के साथ प्रस्तुत करेगा।

1.5 याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए वाराआ के प्रक्षेपणों के लिए यथासम्भव राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अनुसार प्रतिमानों की पालना करने का प्रयास किया है। याचिकाकर्ता ने बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रणावधि विव 2014–15 से विव 2018–19 के तृतीय एवं चतुर्थ विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता तैयार किये जाने में विव 2015–16 (एन–1 वर्ष) के अंकेक्षित लेखों का, उपयोग किया है, जिसे इस आवेदन के पश्चात्वर्ती भागों में सारांशित किया गया है।

अ 2. विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए ऊर्जा विक्रय तथा आवश्यकता

2.1 राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के उपाबन्ध 75 में यथाविहित, याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान ऊर्जा विक्रय के पूर्वानुमान हेतु उपभोक्ताओं, सम्बद्ध भार तथा ऊर्जा विक्रय में विगत संवृद्धि का उपयोग किया है।

2.2 विव 2014–15 से विव 2018–19 की बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रणावधि के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष अर्थात विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए विक्रय के प्रक्षेपणार्थ, याचिकाकर्ता ने राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के उपाबन्ध 75 के अनुसार विगत वर्षों के वास्तविक डैटा तथा आयोग द्वारा पिछले टैरिफ आदेशों में अनुमोदित कार्यप्रणाली का उपयोग किया है। विक्रय का प्रक्षेपण करते समय विभिन्न ग्राहक श्रेणी को ऊर्जा विक्रय को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों को भी ध्यान में रखा है।

2.3 पूर्वीवर्ती आंकडों के आधार पर याचिकाकर्ता ने विगत 3, 5, तथा 7 वर्षो की सीएजीआर के अनुसार श्रेणीवार गणना की है। वित्त वर्ष 2015–16 के अंकेक्षित लेखों पर उक्त सीएजीआर को लागू कर वित्त वर्ष 2016–17 तथा 2017–18, ऊर्जा विक्रय का प्रक्षेपण किया गया है।

2.4 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि याचिकाकर्ता के अनुभव व नवीनतम उपलब्ध आंकडों के आधार पर बिक्री में वृद्धि की प्रवृति का यह सबसे उचित अनुमानक है। इसके अतिरिक्त निवेदन है कि जहां भी यह अनुमानक प्रवृति अनुचित या अस्थिर लगी है, वृद्धि के कारकों को उचित व और अधिक यथार्थवादी अनुमानों को आधार बनाया गया है।

2.5 तथापि निम्न घटनाऐं याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर है जिन पर बिक्री पूर्वानुमानों पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में, राजस्व आवश्यकता को, ऐसा परिवर्तन याचिकाकर्ता के युक्तिसंगत नियंत्रण से बाहर होने पर समायोजित किया जा सकता है :

(अ) उपभोक्ताओं का खुले अभिगमन में चले जाने के कारण औद्योगिक विक्रय पूर्वानुमानों में किसी परिवर्तन (धनात्मक या ऋणात्मक) का संधात या आर्थिक मन्दी के कारण उपभोग में गिरावट,

(ब) नियंत्रणावधि के किसी भी वर्ष के लिए याचिकाकर्ता द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति के घण्टों के पूर्वानुमानों में लिये गये स्तर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र को वास्तविक निवेश (इनपुट) में वृद्धि,

(स) बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार के अभिवचनानुसार कृषि कनेक्शनों में वृद्धि, तथा

(द) याचिकाकर्ता से पात्र खुले अभिगमन उपभोक्ताओं का प्रव्रजन।

2.6 ऊर्जा विक्रय में अन्तर, विद्युत क्रय लागत तथा वार्षिक राजस्व आवश्यकता मे ंपरितर्वन लायेगा तथा डिस्कॉमों की लाभदायिता को प्रभावित करेगा। इसलिए याचिकाकर्ता

अपना प्रकरण निष्पादन की वार्षिक समीक्षा/ट्रयूअप के समय ऐसे समग्र अन्तर को समायोजित करने के उपायों के साथ प्रस्तुत करने का निवेदन करता है।

विगत वर्षों का ऊर्जा विक्रय

2.7 निम्नलिखित सारणी विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को विगत वर्षों के दौरान वास्तविक विक्रीत ऊर्जा को सारांशित करती है–

सारणी 1: ऊर्जा विक्रय में विगत प्रवृति (मिलियन इकाइयां)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 10	विव 11	विव 12	विव 13	विव 14	विव 15	विव 16
घरेलू	1,561	1,811	2,007	2,255	2,542	2,793	3,002
अघरेलू	417	456	527	780	838	904	986
सार्वजनिक पथ प्रकाश	107	117	118	123	185	142	137
कृषि (मी.)	3,456	4,069	4,810	6,288	6,443	7,473	7,964
कृषि (फ्लेट)	1,441	1,357	1,589	1,388	1,685	1,335	1,310
लघु उद्योग	195	204	214	217	223	235	234
मध्यम उद्योग	381	434	480	564	580	615	612
वृहद उद्योग	915	1,077	1,124	990	1,077	1,258	1,183
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	227	229	214	224	229	240	259
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	105	114	102	106	104	104	106
सार्वजनिक जलदाय (वृहत)	324	319	351	345	356	395	432
मिश्रिम भार प्रपुंजापूर्ति	457	533	488	335	324	350	351
योग	**9,586**	**10,721**	**12,024**	**13,615**	**14,587**	**15,845**	**16,574**

2.8 याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक प्रतिवर्ष लगभग 10 प्रतिशत कुल ऊर्जा विक्रय की वृद्धि उल्लेखित है। उपभोक्ता वृद्धि, विशिष्ट खपत में वृद्धि, विकास दर में वृद्धि आदि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति घन्टों में वृद्धि एवं निरन्तर गुणवता पूर्ण आपूर्ति के कारण है।

2.9 कृषि (फ्लेट) को छोड़कर सभी उपभोक्ता श्रेणियो ने ऊर्जा विक्रय में संवृद्धि दर्शायी है। कृषि फ्लेट रेट श्रेणी में कमी की प्रवृति प्राथमिक रूप से उपभोक्ताओं के मीटरित श्रेणी में परितर्वन के कारण है।

2.10 मीटरित उपभोक्ता श्रेणियों में विव 2010–11 से ही विक्रीत ऊर्जा में लगभग 15 प्रतिशत की औसत वृद्धि रही है। ऊर्जा विक्रय में संवृद्धि निम्नलिखित को अधिरोपित की जा सकती है :

(अ) याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू कनेक्शनों के लिए लम्बित सभी आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्धता में सुधार का नीतिगत निर्णय,

(ब) अतिरिक्त कनेक्शन दिये जाने तथा जल स्तर के नीचे चले जाने से विद्यमान उपभोक्ताओं के उपभोग में वृद्धि के कारण कृषि (मीटरित) विक्रय बढ़ा है।

2.11 इस अवधि के दौरान पूरे देश में सामान्य औद्योगिक समृद्धि के कारण उद्योगो की बिजली खपत में भी बढोतरी हुई है।

2.12 उपरोक्त से यह प्रेक्षित किया जाता है कि उपभोक्ता श्रेणियों को विक्रय, उपभोक्ताओं में वृद्धि, आपूर्ति घण्टों में वृद्धि तथा नीतिगत पहलों के कारण औद्योगिक पुनरूद्धार जैसे विभन्न विषयेतर परिवर्तनशीलता पर निर्भर रहा है। इसलिए विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए विक्रय के प्रक्षेपण, ऊर्जा विक्रय की हाल की प्रवृति तथा अन्तरों, जो भविष्य में ऊर्जा विक्रय को प्रभावित करने जा रहे हैं, को ध्यान में रखते हुये प्रक्षेपित किये गये हैं।

कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर, अन्य श्रेणियों के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण

विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए विक्रय का प्रक्षेपण

2.13 विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए ऊर्जा विक्रय ऐतिहासिक विक्रय डैटा माननीय आयोग द्वारा पिछले वर्षों के टैरिफ आदेशों में अनुमोदित कार्यविधि के अनुसार श्रेणीवार सीएजीआर का उपयोग करते हुये प्रक्षेपित किये जाते हैं। जहां पर भी प्रावृति अनुचित पाई गई है वहां पूर्वानुमानों को उचित रूप से समायोजित किया गया है। विक्रय के प्राक्कलन के समय, कृषि श्रेणी को छोड़कर, सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विगत प्रवृतियां उपयोग में लाई गयी हैं। जहां कहीं प्रवृति अनुचित लगी वहां पूर्वानुमान को नवीनतम उपलब्ध आंकडो को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया है।

2.14 पिछले पांच वर्षों ने घरेलू श्रेणी में उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय में वृद्धि की प्रवृति दर्शायी है। विक्रय में वृद्धि व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रागांग्राविियो के अन्तर्गत सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता में वृद्धि तथा जीवनस्तर में वृद्धि के कारण विद्यमान उपभोक्ताओं के विशिष्ट उपभोग में वृद्वि को आरोप्य है। याचिकाकर्ता को विक्रय की संवृद्धि में यही प्रवृति भविष्य में बने रहने की प्रत्याशा है।

2.15 उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार ने राज्य में, सभी उपभोक्ताओं (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर) को 24 X 7 विद्युत उपलब्ध करवाने हेतु संयुक्त पहल की है। यह पहल बारहवीं योजना के अन्त तक विद्यमान उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाली निर्बाध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करने तथा अगले पांच वर्ष में सभी असम्बद्ध उपभोक्ताओं को विद्युत तक अभिगमन उपलब्ध करवाने पर लक्षित है। पहल के अनुसार विव 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान राजस्थान राज्य में छः लाख घरेलू उपभोक्ताओं का परिवर्धन विचारित है।

2.16 यहां यह उल्लेख करना समयाधीन है कि अविधुतिकृत घरों के विधुतिकरण के फलस्वरूप, राज्य में उपभोक्ता मिश्रण में परिवर्तन और साथ ही राज्य सहायिकी वाले उपभोक्ताओं में वृद्धि होगी। याचिकाकर्ता की वित्तिय स्थिति में उपभोक्ता

मिश्रण महत्वपूर्ण निर्धारक है और वीआईपी श्रेणी के उपभोक्ताओं में वृद्धि के साथ यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन श्रेणियों के लिए टैरिफ आपूर्ति की औसत लागत के करीब रखी जाए और क्रॉस सब्सिडी के अंतर को कम किया जावे।

2.17 विगत पॉच वर्षों ने अघरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विक्रय में वृद्धि की प्रवृति दर्शायी है। इस श्रेणी में पिछले कुछ वर्षों में विक्रय में द्रुतगामी संवृद्धि हुयी है, जो द्रुतगामी शहरीकरण तथा हाल के विगत मे वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि को आरोप्य है। याचिकाकर्ता भविष्य में संवृद्धि की इस प्रवृति के जारी रहने की प्रत्याशा करता है।

2.18 औद्योगिक श्रेणी के लिए याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करती है कि पूर्व में लघु, मध्यम और वृहत औद्योगिक श्रेणियों की बिक्री में बढोतरी हुई है।

2.19 हालांकि खुला पथ परिवहन के माध्यम से औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की खरीद में वृद्धि के कारण पिछले वर्षों के दौरान औद्योगिक बिक्री में कमी को देखा गया है। तद्नुसार याचिकाकर्ता ने इस तरह के उपभोक्ताओं के बिक्री का अनुमान लगाया है।

2.20 सार्वजनिक जलदाय श्रेणियों के लिए ऊर्जा विक्रय आंकड़े विगत प्रवृति के आधार पर प्राक्कलित किये गये हैं।

2.21 पूर्व में सार्वजनिक जल प्रदाय श्रेणी के उपभोग में मौलिक वृद्धि हुई है। सभी विद्युत सम्बन्ध मीटरित है और अभी कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नही है। अतः श्रेणी में ऊर्जा विक्रय की गिरावट की संभावना है। हालांकि सार्वजनिक जलप्रदाय (एम) के कनेक्शनों का सार्वजनिक जलप्रदाय (एल) में स्थानांतरण भी देखा गया है। इसलिए इस श्रेणी की बिक्री का प्रक्कलन करते समय, प्रवृति को उचित रूप से समायोजित किया गया है।

2.22 मिश्रित भार/प्रपुंजापूर्ति श्रेणी के मामले में, पिछले वर्षों में ह्रासवान प्रकृति प्रेक्षित की गयी है, जो मोबाइल टॉवर उपभोक्ताओं तथा निजी संस्थाओं जैसे कतिपय उपभोक्ता समूहों के अघरेलू तथा अन्य श्रेणी में परिवर्तन को अधिरोपित की जा सकती है। हालांकि वित वर्ष 2013–14 के पश्चात् विक्रय में पूर्व वर्षों की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता इस तरह की प्रवृति के जारी रहने की उम्मीद रखता है।

2.23 इस प्रकार, मिश्रित भार श्रेणी के लिए भविष्य के उपभोग के प्रक्षेपणार्थ याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए विक्रय के प्रक्षेपण हेतु नाम मात्र की सामान्य वृद्धि दर प्राक्कलन हेतु उपयोग किया है ।

2.24 उपरोक्त विवरण के अनुरूप विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (कृषि को छोड़कर) नीचे सारणी में सारांशित किया गया है:

सारणी 02: विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए श्रेणीवार प्रक्षेपित विक्रय (मि.यू.) (कृषि को छोड़कर)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 2016–17 (मि.यू.)	विव 2017–18(मि.यू.)
घरेलू	3,544.86	4,572.24
अघरेलू	1,084.50	1,192.95
सार्वजनिक पथ प्रकाश	140.97	145.48
लघु उद्योग	242.59	251.69
मध्यम उद्योग	628.74	646.01
वृहद उद्योग	1,182.69	1,182.69
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	265.12	271.76
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	107.87	110.02
सार्वजनिक जलदाय (वृहत)	483.40	541.40
मिश्रित भार/प्रपुंजापूर्ति	382.86	417.32
योग	**8,063.60**	**9,331.57**

कृषि उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण

कृषि मीटरित श्रेणी

2.25 कृषि मीटरित श्रेणी के लिए ऊर्जा विक्रय निम्नलिखित घटकों के आधार पर प्राक्कलित किये गये है :–

(क) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विद्यमान उपभोक्ता,

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं में परिवर्धन,

(ग) ''कृषि फ्लेट'' से ''कृषि मीटरित'' श्रेणी में रूपान्तरित उपभोक्ता,

(ध) प्रति उपभोक्ता सम्बद्धभार,

(ड.) प्राक्कलित विशिष्ट ऊर्जा उपभोग,

कृषि उपभोग = उपभोक्ताओं की संख्या X प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार X विशिष्ट उपभोग

2.26 प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार, पिछले वर्षों में प्रेक्षित की गयी प्रवृति तथा जल स्तर में कमी के कारण प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार में संभावित संवृद्धि के आधार पर पूर्वानुमानित किया गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषण योजना जारी की है जिसके कारण प्रति उपभोक्ता संबंद्ध भार में और वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए प्रति उपभोक्ता संबंद्ध भार का आंकलन करने के लिए याचिकाकर्ता ने पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि करने का विचार किया है। विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए प्रक्षेपित प्रति उपभोक्ता संबंद्ध भार निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :–

सारणी 3: कृषि मीटरिंत प्रति उपभोक्ता का प्रक्षेपित सम्बद्ध भार (कि.वा) का प्राकलन

विशिष्टियां	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार
विव 2016–17	17.28
विव 2017–18	18.15

2.27 कृषि मीटरित उपभोक्ताओं हेतु विशिष्ट उपभोग की गणना के लिए पिछले दो वर्षों के विशिष्ट उपभोग का औसत लिया गया है।

सारणी 4: कृषि मीटर श्रेणी के लिए प्रक्षेपित प्रति वर्ष विशिष्ट उपभोग (कि.वा.घ./कि.वा. /वार्षिक)

वित वर्ष	विशिष्ट उपभोग
विव 2016–17	1868.43
विव 2017–18	1868.43

2.28 निम्नलिखित सारणी, विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए, कृषि मीटरित श्रेणी को ऊर्जा विक्रय के प्रक्षेपणार्थ माने गये उपभोक्ताओं की संख्या को सारांशित करती है:

सारणी 5: कृषि मीटर श्रेणी के अनुमानित उपभोक्ता संख्या

वर्ष	प्रारम्भिक उपभोक्ता संख्या	वर्ष में सम्मलित नये उपभोक्ता संख्या	फ्लेट रेट से मीटर में स्थानान्तरित संख्या	कुल उपभोक्ता संख्या
विव 2016–17	263,528	10,000	20,000	293,528
विव 2017–18	293,528	15,000	10,000	318,528

2.29 यहां यह उल्लेख करना समयाचीन है कि फ्लेट दर से मीटरित श्रेणी में परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है और इसे संपूर्ण वर्ष जारी रहना माना गया है। इस प्रकार इसका प्रभाव लेने के लिए कृषि मीटर श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिक्री की गणना करते समय इस तरह परिवर्तित उपभोक्ताओं के छ माह की बिक्री को लिया गया है।

2.30 उपरोक्तानुसार विव 2016–17 तथा विव 2017–18 हेतु कृषि मीटर प्रणाली हेतु विद्युत विक्रय का प्राकलन निम्नानुसार सारणी में प्रदेर्शित है:

सारणी 6: कृषि मीटर श्रेणी का प्रक्षेपित उपभोग (मिलियन ईकाई)

विशिष्टियां	विव 2016–17	विव 2017–18
ऊर्जा विक्रय (मि. इकाई)	9,003.05	10,792.93

कृषि फ्लेट (अमीटरित श्रेणी)

2.31 कृषि फ्लेट रेट श्रेणी के लिए ऊर्जा विक्रय, निम्नलिखित घटकों के आधार पर प्राक्कलित किया गया है –

(अ) वित्तीय वर्ष की शुरूआत में विद्यमान उपभोक्ता,

(ब) 'कृषि फ्लेट' से 'कृषि मीटरित' श्रेणी में परिवर्तित उपभोक्ता,

(स) प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार

(द) अनुमोदित विशिष्ट ऊर्जा उपभोग

कृषि उपभोग = उपभोक्ताओं की संख्या x प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार x विशिष्ट उपभोग

2.32 प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार, पिछले वर्षों में प्रेक्षित की गयी प्रवृति तथा जल स्तर में कमी के कारण प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार में संभावित संवृद्धि के आधार पर पूर्वानुमानित किया गया है। हालांकि पिछले वर्ष में कोई पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। इस पर विचार करते हुए कृषि फ्लेट दर के लिए (गैर मीटर) श्रेणी के उपभोक्ताओं का विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार विव 2015–16 के प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार के बराबर रखा गया।

सारणी 7: कृषि फ्लेट रेट के लिए प्रति उपभोक्ता प्रक्षेपित सम्बद्ध भार (किवा)

वर्ष	सम्बद्ध भार/उपभोक्ता
विव 2016–17	17.74
विव 2017–18	17.74

2.33 याचिकाकर्ता यह भी निवेदन करता है कि माननीय आयोग ने विगत टैरिफ आदेशों में फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट ऊर्जा उपभोग 1945 किवाध/किवा/वर्ष अनुमोदित किया था। इस प्रकार, विव 2016–17 तथा 2017–18 हेतु याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग द्वारा यथानुमोदित उसी विशिष्ट उपभोग 1945/किवाध/किवा/वर्ष को अपनाया है।

2.34 निम्नलिखित सारणी विव 2016–17 तथा विव 2017–18 में कृषि अमीटरित श्रेणी को ऊर्जा विक्रय के प्रक्षेपणार्थ माने गये उपभोक्ता परिवर्धन तथा विशिष्ट उपभोग को सारांशित करती है :

सारणी 8: कृषि फ्लेट रेट श्रेणी में प्रक्षेपित उपभोक्ता की संख्या

वर्ष	प्रारम्भिक उपभोक्ता	फ्लेट से मीटरित में रूपान्तरण	अन्तिम शेष
विव 2016–17	37,034	20,000	17,034
विव 2017–18	17,034	10,000	7,034

2.35 यहां भी यह उल्लेख करना समयाचीन है कि फ्लेट दर से मीटर श्रेणी में परिवर्तन वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता ने ऐसे उपभोक्ताओं की कृषि फ्लेट दर श्रेणी के अंतर्गत बिक्री गणना करने हेतु छ माह का उपभोग अनुमानित किया है।

2.36 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए 'कृषि फ्लेट रेट' श्रेणी के अन्तर्गत प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय नीचे सारणी में सारांशित है –

सारणी 9: कृषि फ्लेट रेट उपभोग का प्रक्षेपण

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
ऊर्जा विक्रय (मि. इकाई)	932.90	242.73

विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा विक्रय प्राक्कलनों का सारांश

2.37 ऊपर वर्णित भागों में बतायी गयी कार्यविधि पर आधारित, विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए उपलब्ध प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय नीचे सारणी में सारांशित है:–

सारणी 10: विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए प्रक्षेपित विक्रय (मि.यू.)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 2016–17	विव 2017–18
घरेलू	3,544.86	4,572.24
अघरेलू	1,084.50	1,192.95
सार्वजनिक पथ प्रकाश	140.97	145.48
कृषि (मी.)	9,003.05	10,792.93
कृषि (फ्लेट)	932.90	242.73
लघु उद्योग	242.59	251.69
मध्यम उद्योग	628.74	646.01
वृहद उद्योग	1,182.69	1,182.69
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	265.12	271.76
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	107.87	110.02
सार्वजनिक जलदाय (वृहद)	483.40	541.40
मिश्रित भार प्रपुंजापूर्ति	382.86	417.32
योग	**17,999.54**	**20,367.23**

वित वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 की अवधि के लिए वितरण हानि

2.38 विव 2015–16 के अन्त में याचिकाकर्ता की वास्तविक वितरण हानि 23.32 प्रतिशत रही।

2.39 राज्य ऊर्जा क्षेत्र को स्वावलम्बी बनाने में वितरण हानियों को कम करने के महत्व से याचिकाकर्ता भलिभाति विज्ञ है इस प्रयोजन हेतु याचिकाकर्ता पहले से ही विभिन्न कदम उठाकर मौजुदा नुकसान के स्तर को नीचे लाने के प्रयास कर रहा है।

2.40 याचिकाकर्ता की पिछले वर्षों में शुरू किये गये वितरण हानि कमी कार्यक्रम का अनुसरण करने तथा भ्रान्त उपभोक्ताओं को लक्ष्य करने के लिए वृद्धित प्रोद्यौगिकी का उपयोग करने तथा प्रक्षेपण अवधि के दौरान हानियों को कम करने की भावना है। एफ. आई.पी., एस.आई.पी. तथा आरएपीडीआरपी आदि के अन्तर्गत किये जा रहे निवेशों से भी वितरण हानि, विशेषतः शहरी क्षेत्रों में कमी प्रत्याशित है।

2.41 याचिकाकर्ता द्वारा वितरण हानि कम करने के प्रयासों को आगे बढाते हुये, परिचालन दक्षता बढाकर सुधार करने के उपायों के अन्तर्गत नुकसान के आधार पर भार वितरण प्रबन्धन, प्रदर्शन की निगरानी व्यवस्था, शतप्रतिशत फीडर्स व ट्रांसफार्मर मीटरिंग, उच्च मुल्यवान उपभोक्ताओं के लिये ए.एम.आर. मीटरिंग फीडर स्तरीय ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण तथा फीडर्स अलगाव आदि अन्य सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे है।

2.42 वितरण हानि में कमी के लक्ष्यों का जोनल से उपखण्ड स्तर तक का निर्धारण कर सम्बन्धित अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही विशेष तथ आक्रमक सर्तकता अभियान चलाकर चोरी व दुरूपयोग को रोकने के प्रयास किये जा कर संलिप्त व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त माननीय आयोग द्वारा निर्धारित वितरण हानि कमी लक्ष्यों की पूर्ती हेतु पूंजीगत निवेश योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

2.43 हानियों में कमी करने हेतु याचि प्रतिबद्ध है। उपरोक्त वर्णित उपायों के क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये जाते है। ये सभी कार्यक्रम याचि राज्य व केन्द्र सरकार के मध्य हुए समझोते ''उदय योजना'' के अंग है जिसके तहत उच्च स्तर पर प्रयास जारी है।

2.44 याचिकाकर्ता के विस्तृत क्षेत्र, छितरायें हुये भार केन्द्रों एवं कृषि विधुत सम्बन्धों के बाहुल्य को देखते हुए उपरोक्त वर्णित उपायों के परिणाम मिलने में समय लगना स्वाभाविक है। हानि के परिपेक्ष्य में याचि के व्ययों को अमान्य करने के कारण, याचि द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर तथा उपभोक्ता हितो पर सीधे विस्तृत नकारात्मक पडना स्वाभाविक है और वर्ष 2018–19 तक परिचालन में बदलाव के प्रयासों पर भी नकारात्मक प्रभाव होगा।

2.45 ए.टी. एण्ड सी. छीजत में कमी करने के प्रयासों एवं उदय योजना की प्रतिबद्धताओं के मध्यनजर, याचि ने वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु छीजत, मानक स्तर पर कम करने का प्रक्षेपण प्रस्ताव निम्न सारणी में सांराशित किया है।

सारणी 11: वितरण हानि कम करने का प्रस्ताव (प्रतिशत)

विशिष्ट	विव 2016–17	विव 2017–18
वितरण हानि (प्रतिशत)	19.00%	16.50%

2.46 अतः याचि द्वारा किये जा रहे उपरोक्त वर्णित प्रयासों के मध्यनजर माननीय आयोग कृपया विचार कर, उपरोक्त वर्णित प्रस्तावित वितरण हानि प्रक्षेपरवक्र पर विचार करें।

विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा आवश्यकता

2.47 याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा आवश्यकता विव 2015–16 के अंकेक्षित आकडों, प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय तथा वितरण हानियों के आधार पर, राविप्रनि के अन्तरापृष्ठ पर प्राक्कलित की है–

सारणी 12: वितरण हानियां तथा राविप्रनि के अन्तरापृष्ठ पर ऊर्जा आवश्यकता

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
उपभोक्ताओं को कुल ऊर्जा विक्रय (मि.ई.)	17,999.54	20,367.23
वितरण हानि प्रतिशत	*19%*	*16.50%*
राविप्रनि अन्तरापृष्ठ बिन्दु पर डिस्कॉम की कुल ऊर्जा आवश्यकता (मि.ई.)	**22,221.66**	**24,391.89**

अ 3: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए विद्युत क्रय मात्रा तथा लागत

ऊर्जा उपलब्धता तथा ऊर्जा संतुलन

ऊर्जा उपलब्धता

3.1 विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए ऊर्जा उपलब्धता वर्ष 2015–16 के अंकेक्षित आकडों के आधार से प्राकलित मानी गयी है।

3.2 विव 2016–17 के लिए ऊर्जा उपलब्धता वर्तमान कार्यरत व प्रस्तावित नवीन उत्पादन केन्द्रों के आधार पर प्रक्षेपित है। याचिकाकर्ता ने मौजूदा बिजली की स्थिति का विश्लेषण किया है और बिजली खरीद के खर्च को कम करने के दृष्टिकोण के साथ विभिन्न स्टेशनों से ऊर्जा खरीद के प्रबंध में प्रयास किए है। तद्नुसार विव 2017–18 के लिये ऊर्जा को उपलब्धता का अनुमान किया है। नये स्टेशनों जो कि विव 2015–16 में स्थापित हुये हैं, के लिए संयन्त्र भार घटक तथा सहायक उपभोग की पूर्व धारणा केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के लिए केविविआ तथा राज्य उत्पादन स्टेशनों के लिए राविविआ द्वारा अनुमोदित प्रचालनीय प्रतिमानों पर आधारित है।

3.3 नये विधुत स्टेशनों से विधुत क्रय, राजस्थान राज्य को विनिहित हिस्से/अनुबन्ध आधार प्रतिशतता में माना गया है। प्लान्ट लोड फेक्टर व सहायिकी ऊर्जा खपत का निर्धारण पूर्ववर्ती रूझान और माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित मापदण्डों के अनुसार प्रस्तावित है। वर्ष के लिये इस प्रकार के नये स्टेशनों से बिजली खरीद की गणना तिथि, इनके प्रस्तावित वाणिज्यिक तिथि से की गयी है।

3.4 यह निवेदन है कि याचिकाकर्ता अक्षय स्त्रोतों से क्रय हेतु ईमानदारी से प्रयास कर रहा है और अक्षय स्त्रोतों से खरीद लगातार बढ रही है। अब यह माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अक्षय क्रय अनिवार्यता बाध्यता के करीब है।

3.5 राजस्थान, भारत में सौर एवं पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु उच्चतम स्थापित क्षमता वाला राज्य है। पवन ऊर्जा उत्पादन फर्म क्षमता का लगभग 20% राजस्थान में है। दिनांक 30.09.2016 को पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 4120 मेगावाट, राजस्थान में है। इसके बावजूद भी राजस्थान की वितरण कम्पनियां अपने आर.पी.ओ. दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रही है।

3.6 अक्षय ऊर्जा क्रय दायित्वों को पूरा करने में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुये, पर्याप्त जल स्त्रोतों को अक्षय स्त्रोतों के साथ एकीकरण में संचालित किया जा सकता है जिससे कि अक्षय ऊर्जा को अवशोषित करने की कमी दूर हो सकेगी। अक्षय ऊर्जा की कमी, राज्य की मांग व वितरण कम्पनियों के ऊपर आ रहे आर्थिक भार के मध्यनजर, माननीय आयोग तथा अक्षय ऊजा मंत्रालय को, अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों को निम्नानुसार संशोधित करने हेतु निवेदन किया गया है:–

सारणी 13: अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व विव 2016–17 तथा 2017–18

क्र.सं.	वर्ष	दायित्व ऊर्जा उपभोग के प्रतिशत में जल विधुत द्वारा उपभोग को छोड कर			
		पवन	जैव ईधन	सौर	कुल
1	2016–17	8.10	0.35	1.25	9.70
2	2017–18	8.65	0.35	3.89	12.89
3	2018–19	8.65	0.35	5.11	14.11

3.7 तदन्तर निवेदन है कि विव 2016–17 तथा 2017–18 हेतु अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित आरपीओ चक्र द्वारा प्रक्षेपित किया गया है।

3.8 उपरोक्त वर्णनानुसार याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु स्त्रोतवार ऊर्जा क्रय की गणना की है और माननीय आयोग से अनुमोदन हेतु विनम्र प्रार्थना है।

3.9 याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 के लिए 4.11 प्रतिशत राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां राजस्थान प्रसारण निगम के लिये अनुमोदित टैरिफ आदेश के अनुसार आंकलित की है। तथा उतरी ग्रिड पर औसत साप्ताहिक हानियों के आधार पर 3.15 प्रतिशत अर्न्तराज्यीय प्रसारण हानियां अंकलित की है। याचिकाकर्ता ने इसी आधार पर विव 2017–18 के लिए भी राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां तथा अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां मानी हैं।

3.10 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए समस्त स्त्रोतों से कुल ऊर्जा उपलब्धता नीचे दी गयी सारणी में सारांशित की गयी है –

सारणी 14: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा उपलब्धता (मि.यू.)

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
राज्य से बाहर के स्त्रोतों से सकल ऊर्जा उपलब्धता (अ)	7,457.76	7,738.55
अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां (प्रतिशत)	3.15%	3.15%
अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां (मि.ई.)	234.92	243.76
राज्य के बाहर से निवल ऊर्जा उपलब्धता	7,222.84	7,494.78
जोड़ें– राज्य के भीतर उत्पादित ऊर्जा (ब)	16,014.38	18,426.35
राज्य में उपयोग हेतु उपलब्ध निवल ऊर्जा	**23,237.22**	**25,921.13**
राज्यान्तरिक प्रसारण हानि (प्रतिशत)	4.11%	4.11%
राज्यान्तरिक प्रसारण हानि (मि.ई.)	955.05	1,065.36
वितरण याचिकाकर्ता को विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा	**22,282.17**	**24,855.77**
कुल ऊर्जा क्रय (अ+ब)	**23,472.14**	**26,164.89**

सारणी 15: स्त्रोतवार ऊर्जा, विव 2016–17 तथा विव 2017–18 (मि.यू.)

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
राताविनि	1,807.61	1,901.72
भानाविनिलि	583.79	621.73
राविउनि	8,156.35	7,305.20
राजवेस्ट एवं जीपीटीपीपी	2,109.10	2,641.46
एनपीसीआईएल	981.82	981.82
साझेदारी परियोजनायें	1,097.25	1,097.25
आइपीपी/यूएमपीपी /एनवीवीएन बन्डल	5,580.66	5,795.41
एनसीईएस (सीपीपी के साथ)	2,114.08	3,083.70
नये स्टेशन	685.54	2,356.93
अन्य स्त्रोत	355.94	379.67
योग	**23,472.14**	**26,164.89**

विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा संतुलन

3.11 प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय पर आधारित, वितरण हानि कमी योजना, आहरण अनुपात तथा अनुवर्ती अन्तर्राज्यीय विक्रय पर आधारित विद्युत क्रय के अनुसार विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए याचिकाकर्ता का ऊर्जा संतुलन नीचे सारणी में सारांशित किया गया है ।

सारणी 16: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा संतुलन

विशिष्टियां	इकाइयां	विव 17	विव 18
प्राक्कलित विक्रय	मि.ई.	17,999.54	20,367.23
वितरण हानियां	%	*19%*	*16.50%*
ऊर्जा आवश्यकता	**मि.ई.**	**22,221.66**	**24,391.89**
डिस्कॉम परिधि पर ऊर्जा उपलब्धता	मि.ई.	22,282.17	24,855.77
ऊर्जा अधिशेष/(कमी)	**मि.ई.**	**60.51**	**463.88**

विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए विद्युत क्रय लागत स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभार

3.12 याचिकाकर्ता ने, विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए, विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत क्रय लागत, निम्नलिखित पूर्वधारणाओं पर आधारित प्रक्षेपित की है :

(क) कोयला, गैस तथा जल आधारित विद्युत संयंत्र से विव 2016–17 व 2017–18 में विभिन्न बिजली संयंत्रों की प्रति यूनिट लागत तय करने के लिये विव 2015–16 की वास्तविक लागत में 2 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा में प्लांट लोड फैक्टर, उपलब्धता इत्यादि के आधार पर माना है।

(ख) नाभिकीय विद्युत संयन्त्रों के लिए भी 2 प्रतिशत की वृद्धि दर लागत से प्राकलन किया गया है। दिनांक 09.03.2016 को लोक सभा प्रश्न के प्रत्युत्तर में डीईए द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर अनुसार एवं विगत व्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखा गया है।

(ग) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 चालू होने वाले उत्पादन केन्द्रों के मामलों में स्थाई प्रभारों तथा परिवर्तनीय प्रभारों के लिए उसी प्रकृति के उत्पादन केन्द्रों के समकक्ष गणना की गयी है।

(घ) विद्युत क्रय लागत का विनिर्धारण करते समय विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए अन्य प्रभारों (उपकर, विद्युत शुल्क आदि सहित) पर विचार नहीं किया गया है। यह निवेदन है कि विव 2016–17 तथा 2017–18 के अंकेक्षित लेखे माननीय आयोग को उपलब्ध करवाये जाने पर ट्रयूअप कर दिये जायेंगे।

प्रसारण एवं राभाप्रे के प्रभार

3.13 विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए भाविग्रिनिलि तथा राविप्रनि के प्रसारण प्रभार विव 2015–16 के वास्तविक अंकेक्षित प्रभार पर 5–15 प्रतिशत वृद्धि को उचित मानते हुए गणना की गयी है।

3.14 यह निवेदन है कि विव 2016–17 तथा 2017–18 के वास्तविक लेखे माननीय आयोग को उपलब्ध करवाये जाने पर ट्रयूअप कर दिये जायेंगे।

3.15 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए माने गये प्रसारण एवं राभाप्रेके प्रभार नीचे सारणी में दिये गये हैं –

सारणी 17: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए प्रसारण तथा राभाप्रेके प्रभार (करोड़ रू.)

प्रसारण प्रभार	विव 2016–17	विव 2017–18
भाविग्रिनिलि	438.45	482.29
राविप्रनि	733.16	842.09
राभाप्रेके	5.74	6.60
उक्षेभाप्रेके	1.13	1.25
कुल प्रसारण एवं राभाप्रेके	**1,178.48**	**1,332.23**

कुल विद्युत क्रय लागत

3.16 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए विभिन्न स्त्रोतों से प्रक्षेपित विद्युत क्रय लागत नीचे सारणी में सारांशित की गई है :

सारणी 18: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 में विद्युत क्रय लागत (करोड़ रू.)

स्टेशन	विव 17	विव 18
राताविनि	573.61	581.23
भानाविनिलि	195.43	203.21
राविउनि	3,368.04	2,946.35
राजवेस्ट एवं जीपीटीपीपी	872.14	1,036.32

एनपीसीआईएल	286.18	286.18
साझेदारी परियोजनायें	38.12	38.12
आइपीपी/यूएमपीपी /एनवीवीएन बन्डल	1,781.34	1,829.40
एनसीईएस (सीपीपी के साथ)	1,031.97	1,482.89
नये स्टेशन	274.64	1,125.25
अन्य स्त्रोत	131.38	137.39
कुल विधुत क्रय लागत	**8,552.86**	**9,666.35**
जोड – प्रसारण लागत	1,178.48	1,332.23
कुल विधुत क्रय लागत मय प्रसारण व्यय	**9,731.34**	**10,998.58**

3.17 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि ऊर्जा क्रय–विक्रय एक गतिशील प्रक्रिया है। बाजार समाशोधन कीमतें विधुत की उपलब्ध मात्रा, क्रेता तथा विक्रेता द्वारा रखी गयी बोलियों के आधार पर ऊर्जा एक्सचेंज में दरे प्रभावित होती रहती है। याचि निवेदन करता है कि एक्सचेंज बाजार पर उसका नियंत्रण नही है। वर्ष 2015–16 में याचि द्वारा अधिशेष ऊर्जा का विक्रय 2.50 रू. / कि.वा.घ. की दर पर किया गया था। उपरोक्त के मध्यनजर वर्ष 2016–17 में नये स्टेशन्स आने, विक्रय में कमी तथा उपभोक्ताओं द्वारा खुले माध्यम से ऊर्जा क्रय के कारणों से अधिशेष ऊर्जा विक्रय करना अनुमानित है। उपलब्ध अधिशेष ऊर्जा को अल्पकालीन माध्यम द्वारा राजस्व अर्जन हेतु विक्रय किया जाना भी अनुमानित है।

3.18 नीचे दी गयी सारणी कुल विद्युत क्रय लागत दर पर विद्युत के अल्पकालीन क्रय/विक्रय के संधात को सारांशित करती है तथा व्यापार से निवल आय पश्चातवर्ती अनुच्छेदों में राजस्व वर्णित है। :

सारणी 19: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए अधिशेष/धाटा लेखा (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	इकाइयां	विव 17	विव 18
ऊर्जा अधिशेष	मि.ई.	60.51	463.88
अल्पकालीन दर (वास्ते ऊर्जा एक्सचेंज के माध्यम से विक्रय)	रू. किवाध	2.50	2.50
विद्युत ट्रेडिंग से राजस्व	**करोड. रू.**	**15.13**	**115.97**

* विव 2015–16 के दौरान अल्पकालीन के माध्यम से विद्युत क्रय वास्तविक प्रति यूनिट दर के अनुसार है।

3.19 विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत क्रय लागत का ब्यौरा प्रपत्र 3.1 में दर्शाया गया है।

अ 4: पूंजी निवेश, प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य एवं पूंजीकरण

4.1 याचिकाकर्ता विव 2016–17 तथा 2017–18 हेतु वित वर्ष 2016 के अंकेक्षित निवेश पर आधारित तथा आयोग को यथाप्रस्तुत निवेश योजनानुसार विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए निवेश योजना आधारित है।

4.2 नीचे दी गई सारणी प्रक्षेपित पूंजीगत व्यय योजना, प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य तथा विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के दौरान पूंजीकरण को सारांशित करती है :

सारणी 20: विव 17 तथा विव 18 के लिए पूंजी निवेश, प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य तथा पूंजीकरण (करोड़ रू.)

विवरण	विव 17	विव 18
प्रारम्भिक प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य	1,203.28	509.66
जोड़ें – वर्ष के दौरान पूंजी निवेश	1,345.00	2,040.00
उप– योग	**2,548.28**	**2,549.66**
घटायें – वर्ष के दौरान पूंजीकृत परिसम्पत्तियां (सकल स्थाई परिसम्पत्तियों को स्थानान्तरित परिसम्पत्तियों)	2,038.62	2,039.72
अन्तिम पूंजीगत प्रगत्याधीन कार्य	**509.66**	**509.93**

अ 5: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता

परिचालन एवं संधारण व्यय

5.1 परिचालन एवं संधारण (प.एवं.सं.) व्ययों में कर्मचारी व्यय, मरम्मत एवं संधारण (म.एवं.सं) व्यय तथा प्रशासकीय व सामान्य (प्र.एवं.सा.) व्यय निहित हैं।

5.2 वितरण व्यवसाय के लिए प.एव.सं. व्यय के प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिमान विक्रीत ऊर्जा की प्रति इकाई पर आधारित है तथा राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 83 के अन्तर्गत निर्धारित हैं।

5.3 उपरोक्त टैरिफ विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रणावधि (अर्थात् विव 2015–16) के प्रारम्भण पर अनुज्ञात प्रासमिक प.एव.सं. व्ययों को नियंत्रणावधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 5.85 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर बढाया जाना है।

5.4 प.एव.सं. व्ययों का राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 83 में विनिर्धारित प्रतिमानों तथा वर्ष के लिए प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय को गुणा करके विनिर्धारण किया जाता है। नियंत्रणावधि विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष लिए प्रत्येक अवयव हेतु प्रति इकाई प्रतिमान निम्नानुसार है :

सारणी 21: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए प्रतिमानित प्रचालन एवं संधारण व्यय दर

विवरण	विव 17	विव 18
कर्मचारी व्यय	0.43	0.45
प्र.एवं.सा. व्यय	0.04	0.05
म.एव.सं. व्यय	0.09	0.09

5.5 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए प्रक्षेपित प्रासमिक प.एवं.सं व्यय ऊपर वर्णित कार्यविधि के अनुसार परिकलित हैं तथा व्यय नीचे सारणी में सारांशित हैं :

सारणी 22: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए परिचालन एवं संधारण व्यय

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
कर्मचारी लागत		
प्रति इकाई प्रतिमान (विव 17 तथा 18 के लिए 5.85 प्रतिशत पर वृद्धित)	0.43	0.45
प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (मि.ई.)	17,999.54	20,367.23
सकल कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.)	**766.35**	**917.88**
घटायें – पूंजीकरण (करोड़ रू.)	*127.16*	*152.31*
निवल कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.)	**639.19**	**765.58**
प्र.एवंसं. व्यय		
प्रति इकाई प्रतिमान (विव 17 तथा 18 के लिए 5.85 प्रतिशत पर वृद्धित)	0.04	0.05

प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (मि.ई.)	17,999.54	20,367.23
सकल प्र.एवं.सा. व्यय (करोड़ रू.)	**74.28**	**78.63**
घटायें – पूंजीकरण (करोड़ रू.)	*18.47*	*19.55*
निवल प्र.एवं. सा. व्यय (करोड़ रू.)	**55.81**	**59.07**
म.एव.सं. व्यय		
प्रति इकाई प्रतिमान (विव 17 तथा 18 के लिए 5.85 प्रतिशत पर वृद्धित)	0.09	0.09
प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (मि.ई.)	17,999.54	20,367.23
म.एवं.सं. व्यय (करोड़ रू.)	**148.56**	**157.25**
सकल प.एवं.सं. व्यय (करोड़ रू.)	**989.19**	**1,153.76**
घटायें – पूंजीकृत व्यय (करोड़ रू.)	*145.64*	*171.86*
निवल प.एव.सं. व्यय (करोड़ रू.)	**843.56**	**981.90**

बीमा व्यय

5.6 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए बीमा व्ययों का प्राक्कलन, राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 25 में निर्धारित उच्चतम के अध्यधीन निवल स्थाई परिसम्पत्तियों के आधार पर किया गया है।

सारणी 23: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए बीमा व्यय(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
निवल स्थाई परिसम्पत्तियां (करोड़ रू.)	8355.21	9826.44
निवल स्थाई परिसम्पत्तियों के 0.2 प्रतिशत की दर पर बीमा व्यय	**16.71**	**19.65**

सेवान्त लाभ

5.7 सेवान्त लाभ दायित्व के विनिर्धारण हेतु याचिककर्ता ने लेखांकन मानक– 15 (कर्मचारी लागत) के अन्तर्गत निर्धारित दिशा–निदेर्शों को अपनाया है। लेखांकन मानक – 15 के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश उल्लेख करते हैं कि नियोक्ता स्थापित प्रावधायी निधि युक्त लाभ, जिन्हें ब्याज की कमी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता है, को परिभाषित लाभ योजना माना जाना है। लेखांकन मानक – 15 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष पेंशन तथा उपादान के सम्बन्ध में सेवान्त लाभों की कमी के लिए प्रावधान किया है।

5.8 याचिकाकर्ता ने सेवान्त लाभ, विव 2015–16 के दौरान उपगत अंकेक्षित व्ययानुसार आधार माना है आयोग से नीचे सारणी में यथादर्शित व्यय अनुज्ञात करने की प्रार्थना है

सारणी 24: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए सेवान्त लाभ (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
वर्ष के लिए सेवान्त लाभ	**298.29**	**298.29**

दीर्धकालीन ऋणों, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज तथा अन्य वित्त प्रभार

5.9 दीर्धकालीन ऋण पर ब्याज, प्रासमिक के आधार पर माना गया है। वर्ष 2015–16 के अंकेक्षित लेखानुसार दीर्घकानीन ऋणों का अन्तिम शेष वर्ष 2016–17 के प्रारम्भिक शेष माना गया है।

5.10 वर्ष के लिये किये जाने वाले कुल पूंजीकरण में से प्रेक्षेपित उपभोक्ता अंशदान राशि को कम कर दिया गया है। शेष 30 प्रतिशत पूंजीकरण इक्विटि के माध्यम से प्राप्ती मानी गयी है। तथा शेष राशि दीर्घकालीन ऋणों में वृद्धि मानी गयी है। राविविआ. टैरिफ विनियम 2014 के अनुच्छेद 21 के अनुरूप दीर्घावधि ऋणों का चुकवारा माना गया है जो कि वर्ष के लिये ह्रास व्यय सीमा तक निहित है। वर्ष 2016–17 के लिये कुल प्रसमन ऋण अन्तिम शेष, प्रसमन ऋण भुगतान कम करके माना गया है।

5.11 वित्तिय वर्ष 2017–18 हेतु प्रसमन आधार पर ब्याज की गणना हेतु वही सिद्धांत एक रूपता से अपनाया गया है जो कि ऋणों मे प्रारम्भिक शेष की गणना हेतु है।

5.12 दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज, याचिकाकर्ता के दीर्धकालीन ऋणों के लिए वास्तविक भारित औसत ब्याज दर पर प्राक्कलित किया जाता है तथा प्रासमिक ऋणों के औसत (प्रारम्भिक तथा अन्तिम प्रासमिक ऋण का औसत) पर प्रयुक्त किया जाता है। विव 2015–16 के दौरान दीर्धकालीन ऋणों पर वास्तविक औसत ब्याज दर का प्राक्कलन 13.03 प्रतिशत पर किया गया है तथा यह दर, विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज प्रभारों के प्राक्कलन हेतु वर्ष के दौरान प्रासमिक ऋणों के औसत शेष पर प्रयुक्त की जाती है।

5.13 विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज, वित वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार पिछले दो वर्षों में वास्तविक प्रतिभूति निक्षेप के औसत तथा उपभोक्ताओं की सख्या में प्रक्षेपित वृद्धि के आधार पर परिकलित किया गया है। ब्याज की दर यथाप्रयोज्य भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर 7.75 प्रतिशत दिनांक 01.04.2016 को निर्धारित आधार अनुसार मानी गयी है जो कि राविविआ – विधुत प्रदाय की शर्तो के अनुरूप है।

5.14 वित्त प्रभार या अन्य उधारी की लागत, वित वर्ष 2015–16 अंकेक्षित लेखों के अनुसार विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए वास्तविक से 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाकर प्राक्कलित की गयी है।

5.15 विव 17 तथा विव 18 के लिए दीर्धकालीन ऋणों, प्रतिभूति पर प्राक्कलित ब्याज तथा वित्त प्रभार नीचे सारणी में सारांशित हैं –

सारणी 25: दीर्धकालीन ऋणों, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
प्रासमिक ऋण का प्रारम्भिक शेष	4,389.08	4,875.52
वर्ष के दौरान मानित परिवर्धन	1,008.28	1,008.83
मानित परिशोधन	521.84	614.05
मानित ऋण का अन्तिम शेष	4,875.52	5,270.30

वर्ष के दौरान औसत शेष	4,632.30	5,072.91
ब्याज दर (प्रतिशत)	13.03%	13.03%
प्रासमिक ऋणों पर ब्याज भुगतान	**603.58**	**660.99**
प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	50.79	57.38
वित्त प्रभार तथा अन्य उधारी लागत	294.38	309.10
सकल ब्याज तथा वित्त प्रभार	**948.75**	**1,027.47**

विगत वर्षों के लिए अनिधिबद्ध राजस्व अन्तर पर ब्याज

5.16 याचि के वित्तिय वर्ष 2013–14 के ट्रॅ–अप अनुमोदन आदेश में माननीय आयोग ने वर्ष 2013–14 तक रू. 13,295.08 करोड का अनिबद्ध राजस्व अन्तर अनुमोदित किया था एवं इसकी वहन लागत @11.24% प्रति वर्ष अनुमोदित की थी।

5.17 आयोग ने विव 2014–15 और विव 2015–16 के लिए रूपये 1670 करोड एवं रूपये 1571 करोड क्रमशः का प्रावद्यिक अनिधिक राजस्व अंतर की मंजूरी दी है। जिससे प्रावद्यिक अनिधिक राजस्व अंतर रूपये 16536.08 करोड तक बढ गया है।

5.18 दिनांक 31 मार्च 2016 को याचिकाकर्ता`का संचित घाटा रूपये 32957.05 करोड है। हालांकि दिनांक 31 मार्च 2016 को याचिकाकर्ता का वास्तविक संचित घाटा 30010.31 करोड रूपये था। मार्च 2009 को कुल संचित घाटा रूपये 5249.74 करोड में से रूपये 2946.74 करोड तक के घाटे को राज्य सरकार वहन करेगी। इसलिए (रूपये 2946.74 करोड) तक वास्तविक घाटा और बेलेंस सीट के अनुसार संचित घाटा के बीच अंतर है।

5.19 इसके अलावा राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है कि विव 2008–09 तक का घाटे को राज्य सरकार विव 2021–22 तक चरणबद्ध तरीके से नगद सहायता के माध्यम से वहन करेगी। विव 2015–16 तक याचिकाकर्ता को रूपये 2946.74 करोड जो राज्य सरकार वहन करेगी के विरूद्ध रूपये 906.25 करोड नगद सहायता के रूप प्राप्त हुए।

5.20 वास्तविक व अनुमोदित घाटे में अत्यधिक अंतर होने के कारण याचिकाकर्ता को तनाव युक्त वितीय स्थिति से गुजरना पड रहा है। इस अंतर को खत्म करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने दिनांक 30.09.2015 को कुल बकाया लोन का 75 प्रतिशत त्रिपक्षीय समझौते के तहत ले लिया है ताकि परिचालन एवं वितीय क्षमता में सुधार हो और याचिकाकर्ता की वितीय स्थिति में बदलाव हो।

5.21 हालांकि त्रिपक्षीय समझौते के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा 2009 तक के घाटे के विरूद्ध नगद सहायता बंद कर दी गई है। इसलिए वास्तविक घाटे तक पहुंचने के लिए बैलेंस सीट के अनुसार संचित घाटे को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले और वहन किए जाने वाले घाटे के विरूद्ध प्राप्त सब्सिडी के अंतर तक बढाया गया है अर्थात् रूपये 2040.49 करोड तक (रूपये 2946.74 करोड – रूपये 906.25 करोड)।

5.22 इसलिए पिछले साल के लिए अनिधिक राजस्व अंतर पर ब्याज की गणना करते समय याचिकाकर्ता द्वारा वास्तविक घाटा और वास्तविक ऋण अधिग्रहण के बीच संतुलन की

हद तक अनिधिक खाई को कम किया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई सारणी में किया गया है।

सारणी 26: अनिबद्ध राजस्व अन्तर, वित्त वर्ष 17 एवं 18 हेतु

विवरण	राशि करोड
दिनांक 31.03.2016 तक संचित घाटा तुलन पत्र अनुसार (अ)	30,010.31
राज्य सरकार द्वारा वहन ऋण (ब)	2,946.74
सरकार द्वारा वहन ऋण के अन्तर्गत प्राप्त सहायिकी (स)	906.25
31.03.2016 को वास्तविक अनिबद्ध राजस्व अन्तर (द=अ+ब–स)	32,050.80
'उदय' के अन्तगर्त वहन ऋण (ई)	19,289.53
अन्तर (फ=द–ई)	12,761.27
माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अनिबद्ध राजस्व अन्तर (ग)	16,536.08
ब्याज गणना हेतु – अनिबद्ध राजस्व अन्तर राशि (फ, ग में से कम)	**12,761.27**

5.21 अनिधिबद्ध राजस्व पर ब्याज का परिकलन किये जाने के उद्देश्य से याचिका कर्ता ने भारित औसत ब्याज की दर वित वर्ष 2015–16 के उपलब्ध अंकेक्षित लेखा अनुसार मानी है।

5.22 निम्न सारणी में अनिधिबद्ध राजस्व अन्तर के औसत प्रारम्भिक व अन्तिम शेषानुसार ब्याज दायित्व की विस्तृतियां प्रदर्शित है:

सारणी 27: विगत वर्षों के अनिधिबद्ध राजस्व अन्तर पर ब्याज दायित्व (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
अनिबद्ध राजस्व अन्तर	12,761.27	12,761.27
ब्याज की औसत दर	**13.03%**	**13.03%**
ब्याज दायित्व	1,662.76	1,662.76

5.23 याचिकाकर्ता पर विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए कुल ब्याज दायित्व नीचे सारणी में सारांशित है :

सारणी 28: कुल ब्याज तथा वित्त व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
प्रासमिक कर्ज पर ब्याज भुगतान	603.58	660.99
प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	50.79	57.38
अनिधिबद्ध अन्तर पर ब्याज दायित्व	294.38	309.10
वित्त प्रभार तथा अन्य लागत	1,662.76	1,662.76
सकल ब्याज प्रभार	**2,611.51**	**2,690.23**
पूंजीकृत ब्याज व्यय	31.94	32.90
निवल ब्याज व वित्त प्रभार	**2,579.57**	**2,657.33**

कार्यशील पूंजी पर ब्याज

5.24 याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 के लिए अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकता का प्राक्कलन राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 27 (3) के अनुसार किया है। कार्यशील पूंजी आवश्यकता, निम्नलिखित प्राचलों को ध्यान में रखते हुये, परिकलित की गई है :

(अ) एक महीने के लिए परिचालन एवं संधारण व्यय

(ब) राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 83 के अनुसार प.एव.सं. व्ययों के 15 प्रतिशत संधारण स्पेयर्स,

(स) उपभोक्ताओं के 1½ माह के विपत्रण के बराबर प्राप्यतायें,

(द) बैंक प्रत्याभूति के रूप में धारित प्रतिभूति निक्षेपों को छोड़कर, वितरण तन्त्र प्रयोक्ताओं (खुला अभिगमन उपभोक्ता) तथा फुटकर आपूर्ति उपभोक्ताओं की प्रतिभूति निक्षेप, वर्ष के लिए कुल कार्यशील पूंजी आवश्यकताा के निर्धारण हेतु उपरोक्त में से कम की गयी है।

5.25 कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित नवीनतम आधार दर के आधार पर 250 आधार अंक जो कि 11.80 प्रतिशत है। नीचे सारणी विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए कार्यशील पूंजी पर प्रासमिक ब्याज को सारांशित करती है

सारणी 29: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज (करोड़ रू.)

क्र.सं.	विशिष्टियां	विव 17	विव 18
1	प.एवं.स. व्यय	70.30	81.83
2	संधारण	171.28	192.03
3	प्राप्यतायें	1,711.30	1,902.28
	घटायें –		
4	उपभोक्ताओं तथा वितरण तन्त्र प्रयोक्ताओं की प्रतिभूति निक्षेप	655.35	740.36
5	**कुल कार्यशील पूंजी**	**1,297.52**	**1,435.77**
6	ब्याज दर	11.80%	11.80%
7	**कार्यशील पूंजी पर ब्याज**	**153.11**	**169.42**

ह्रास

5.26 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ह्रास, राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अनुलग्नक– 1 में निर्धारित दरों पर उक्त विनियमों के विनियम 22 के अनुसार सीधी रेखा पद्धति (सीरेप) के अनुसार परिकलित किया गया हैं

5.27 ह्रास का विनिर्धारण, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के औसत प्रारम्भिक व अन्तिम शेषों पर प्रयोज्य ह्रास दरें प्रयुक्त कर किया गया है।

सारणी 30: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ह्रास (करोड़ रू.)

विवरण	विव 17	विव 18
ह्रास	521.84	614.05

साम्या पर प्रतिफल

5.28 राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 साम्या पर 16 प्रतिशत की दर से प्रतिफल अनुज्ञात करता है। तथापि, याचिकाकर्ता का भारी संचित धाटा है तद्नुसार, याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए साम्या पर कोई प्रतिफल प्रस्तावित नहीं किया है।

गैर– टैरिफ आय तथा अन्य आय

5.29 विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए गैर– टैरिफ आय, विव 2015–16 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार पांच प्रतिशत की वृद्धि दर से प्रक्षेपित की गयी है। किन्तु अंसचयी प्रकृति की मदों पर वृद्धि प्रक्षेपित नही की गयी है।

5.30 विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए व्हीलिंग प्रभारों से वास्तविक आय, माह मार्च, 2016 तक व्हीलिंग प्रभारों से अंकेक्षित आय पर परिकलित की गई है। विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए व्हीलिंग प्रभारों से आय के प्रक्षेपणार्थ कोई वृद्धि नहीं मानी गयी है।

5.31 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए प्राक्कलित क्रास सब्सिडी सरचार्ज आय तथा माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित दरों से खुले माध्यम से क्रय की जाने वाली प्रक्षेपित यूनिटों पर की गयी है।

विलम्ब शुल्क पर वित्त पोषण हेतु ब्याज

5.32 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि विलम्बित भुगतान (डी.पी.एस.) उपभोक्ता की बकाया पर लगाया जाकर उपचय विधि स लेखा बद्ध किया जाता है। याचि की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध डीपीएस को माननीय आयोग ने विगत में गैर टैरिफ आया माना है। किन्तु उपभोक्ताओं से वास्तव में वसूल किये गये डीपीएस की राशि भिन्न रहती है जो कि लेखाबद्ध से कम होती है। इस कारण से याचिकाकर्ता का राजस्व अन्तर भी प्रभावित होता है।

5.33 पुनः निवेदन है कि उपचय विधि से संचित डीपीएस को याचिकाकर्ता की लेनदारिया मानी जानी है। यह उल्लेख करना समयाचीन है कि याचिकाकर्ता पूर्व रूप से ऊर्जा क्रय एवं अन्य प्रकार के व्यय वहन कर चुका होता है। जबकि याचि को केवल दो माह की लेनदारिया ही कार्यशील पूंजी में प्राप्य हेतु अनुमति दी जाती है। इस प्रकार से प्राप्तियों के वित पोषण की लागत, की भी अनुमति दी जानी चाहिये, विशेषतः जबकि डीपीएस को अतिरिक्त आय मान लिया जाता है।

5.34 माननीय विधुत अपीलिय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) द्वारा एनडीपीएल बनाम डीईआरसी अपील संख्या 142–2009 के फैसले दिनांक 20 जुलाई 2010 जिसे नीचे उदृत किया गया, जिसमें डीपीएस वितीय लागत का उल्लेख है।

"The normative working capital compensates the distribution company in delay for the 2 months credit period which is given to the consumers. The late payment surcharge is only if the delay is more than the normative credit period. For the period of delay beyond normative period, the distribution company has to be compensated with the cost of such additional financing. It is not the case of the Appellant that the late payment surcharge should not be treated as a non-tariff income. The Appellant is only praying that the financing cost is involved due to late payment and as such the Appellant is entitled to the compensation to incur such additional financing cost. Therefore, the financing cost of outstanding dues, i.e. the entire principal amount, should be allowed and it should not be limited to late payment surcharge amount alone.

5.35 उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में अन्य विनियामक आयोग जैसे कि बिहार विधुत विनियामक आयोग ने भी डीपीएस पर वित्तिय लागत के बतौर, कार्यशील पूंजी पर अनुमोदित ब्याज दर से डीपीएस पर ब्याज बतौर गैर टैरिफ आय में अनुमोदित किया है।

5.36 याचिकाकर्ता ने डीपीएस पर भी कार्यशील पूंजी पर ब्याज समकक्ष दर से वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु निम्न सारणी अनुसार निवेदित किया हैः–

सारणी 31: डीपीएस पर वित पोषण हेतु ब्याज विव 2016–17 तथा विव 2017–18 (करोड़ रू.)

मूल डीपीएस पर वित पोषण ब्याज	विव 17	विव 18
डीपीएस	233.22	244.88
मूल राशि जिस पर डीपीएस लिया गया (@ 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से)	971.75	1020.34
मूल डीपीएस पर वित पोषण ब्याज दर	11.80%	11.80%
मूल डीपीएस पर वित पोषण ब्याज	**114.67**	**120.40**

5.37 निम्न सारणी में अनुमानित गैर टैरिफ आय, विधुत परिवहन से आय, अन्तर सहायिकी एवं अतिरिक्त प्रभार आदि से आगत आय को विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए सांराशित किया गया हैः–

सारणी 32: गैर टैरिफ आय, विधुत परिवहन आदि से आय विव 17 तथा विव 18 (करोड़ रू.)

विशिष्टिया	विव 17	विव 18
गैर टैरिफ आय	500.29	526.32
घटायेः मूल डीपीएस पर वित पोषण ब्याज	114.67	120.40
निवल गैर टैरिफ आय	385.63	405.92

विधुत परिवहन स आय	3.39	3.39
क्रास सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज सहित से आय	65.00	111.70
कुल	**454.01**	**521.01**

विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता

5.38 पूर्वगामी भागों में माने गये व्यय तत्वों पर आधारित, विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए प्राक्कलित सराआ नीचे सारणी में सारांशित है :

सारणी 33: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (करोड़ रू.)

क्र.सं.	विशिष्टियां	विव 17	विव 18
1	विद्युत क्रय व्यय	8,552.86	9,666.35
2	परिचालन एवं संधारण व्यय	1,158.56	1,299.84
2.1	कर्मचारी व्यय (निवल)	*639.19*	*765.58*
2.2	प्रशासकीय एव सामान्य व्यय (निवल)	*55.81*	*59.07*
2.3	मरम्मत एवं संधारण व्यय	*148.56*	*157.25*
2.4	सेवान्त लाभ	*298.29*	*298.29*
2.5	निवल स्थाई परिसम्पत्तियों का 0.2 प्रतिशत की दर पर बीमा व्यय	*16.71*	*19.65*
3	ह्रास, प्रति अग्रिम सहित ह्रास	521.84	614.05
4	ऋण पूंजी पर ब्याज (प्रतिभूति निक्षेप तथा विव 13 तक अनिधिबद्ध अन्तर पर ब्याज शामिल)	2,579.57	2,657.33
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज (प्रासमिक)	153.11	169.42
6	पूर्वावधि व्यय तथा अन्य व्यय	-	-
7	भाविग्रिनिलि को संदत्त प्रसारण प्रभार	438.45	482.29
8	उक्षेभाप्रेके शुल्क	1.13	1.25
9	राविप्रनि को संदत्त प्रसारण प्रभार	733.16	842.09
10	राभाप्रेके शुल्क	5.74	6.60
11	**कुल राजस्व व्यय**	14,144.41	15,739.22
12	साम्या पूंजी पर प्रतिफल	-	-
13	**समग्र राजस्व आवश्यकता**	**14,144.41**	**15,739.22**
14	घटायें – गैर टैरिफ आय	385.63	405.92
15	घटायें – व्हीलिंग प्रभारों से आय, क्रास सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज सहित	68.38	115.09
16	**फुटकर टैरिफ से समग्र राजस्व आवश्यकता**	**13,690.40**	**15,218.21**

अ 6: विद्यमान टैरिफ से राजस्व तथा राजस्व धाटा

विद्यमान टैरिफ पर विद्युत विक्रय से राजस्व

6.1 विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए विद्यमान टैरिफ से प्रत्याशित राजस्व का प्राक्कलन प्रेक्षपित किये गये ऊर्जा विक्रय के आधार एवं विव 2015–16 हेतु माननीय आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2016 के अनुसार वर्तमान प्रचलित टैरिफ के अनुसार किया गया है। विव 2016–17 के राजस्व की गणना हेतु प्रथम 5 माह हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 20 फरवरी 2015 के अनुसार गणना की गयी है।

6.2 नीचे दी गई सारणी विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए श्रेणीवार प्रत्याशित राजस्व को सारांशित करती है :

सारणी 34: विद्यमान टैरिफ पर विद्युत के विक्रय से आय विव 2016–17 तथा 2017–18 (करोड़ रू.)

उपभोक्ताओं की श्रेणी	विव 2016–17	विव 2017–18
घरेलू सेवा	2,318.65	3,118.03
अघरेलू सेवा	940.95	1,103.18
सार्वजनिक पथ प्रकाश	90.61	97.90
कृषि (मी.) आपूर्ति	4,284.47	5,239.07
कृषि (फ्लेट) आपूर्ति	307.02	129.71
लघु उद्योग सेवा	170.98	185.45
मध्यम उद्योग सेवा	495.78	530.78
वृहद उद्योग सेवा	1,086.78	1,167.48
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – लधु	164.63	176.85
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – मध्यम	78.15	83.05
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – वृहद	376.06	437.93
मिश्रित भार प्रपंजाआपूर्ति	271.42	308.74
विद्युतकर्षण	-	-
योग	**10,585.51**	**12,578.18**

राज्य सरकार से सहायिकी

6.3 राज्य सरकार परिचालनीय हानियों को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता को विगत हानियों के पुनर्भरण, विद्युत शुल्क के प्रति संसहायिकी तथा नकद सहायता सहित सांक्रांन्तिक अवधि सहायता उपलब्ध करवाती है। अब ''उदय योजना'' के तहत राज्य सरकार नकद सहायता उपलब्ध नही करायेगी किन्तु विधुत कर की प्रतिभरण चालू रहेगा। विधुत कर प्रतिभरण सहायकी के निर्धारण हेतु, वर्ष के लिये प्रेक्षपित विक्रय तथा विव 2015–16 के प्रति युनिट विधुत कर प्रतिभरण के आंकडें काम में लिये गये है। नीचे दी गयी सारणी राजस्थान सरकार से वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु प्राप्य सहायिकी को सारांशित करती है :

सारणी 35:विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए **राजस्थान सरकार से सहायिकी समर्थन(करोड़ रू.)**

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
विश्व बैंक ऋण पर अन्तरीय ब्याज संसहायिकी	3.00	2.00
विद्युत शुल्क के प्रति राज्य सरकार से ससंहायिकी	362.29	409.94
कम्पाउडिंग चार्जेज हेतु सहायिकी	10.00	10.00
योग	**375.29**	**421.94**

विद्यमान टैरिफ पर राजस्व घाटा

6.4 विद्यमान टैरिफ पर विव 2016–17 तथा 2017–18 हेतु नियंत्रणावधि के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए राजस्व धाटा नीचे सारणी में सारांशित किया गया है :

सारणी 36: विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए **विद्यमान टैरिफ पर राजस्व घाटा (करोड़ रू.)**

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
समग्र राजस्व आवश्यकता (अ)	13,690.40	15,218.21
विद्यमान टैरिफ पर राजस्व (ब)	10,585.51	12,578.18
अन्य वाणिज्य गतिविधियों से आय (स)	15.13	115.97
सहायिकी से पूर्व राजस्व घाटा (द= ब+स–अ)	**3,089.77**	**2,524.06**
राज्य सरकार से सहायिकी समर्थन (ई)	375.29	421.94
सहायिकी के बाद राजस्व घाटा (फ = द+ई)	**2,714.48**	**2,102.12**
जोड़ें – पिछले वर्ष के लिए राजस्व घाटा (ग)	-	2,891.32
वित्तीय वर्ष के प्रथम आघे के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर के अनुसार राजस्व घाटे पर रखाव लागत (च)	176.85	513.68
पिछले वर्ष के अन्तर को समायोजित करने के बाद संचित राजस्व घाटा (ज= फ+ग+च)	**2,891.32**	**5,507.12**

6.5 विव 2016–17 तथा 2017–18 के राजस्व अन्तर पर रखाव लागत की गणना हेतु ब्याज दर दीर्घ कालिक ऋणों पर देय औसत ब्याज दर के समकक्ष मानी है।

6.6 जैसा कि ऊपर सारणी से देखा जा सकता है, याचिकाकर्ता विव 2016–17 तथा 2017–18 में विद्यमान टैरिफ पर राजस्व घाटे में रहेगा।

अ 7: राजस्व घाटे का उपचार

7.1 जैसा कि ऊपर के भाग में वर्णित है, याचिकाकर्ता का विद्यमान टैरिफ पर विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए राजस्व धाटा क्रमशः 2714.48 करोड़ रू. तथा 2102.12 करोड़ रू. प्राक्कलित है। इस प्रकार विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए संचिव राजस्व अन्तर 2891.32 करोड़ रू. तथा 5507.12 करोड़ रू. (विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए राजस्वान्तर पर रखाव लागत सहित) परिकलित है।

7.2 याचिकाकर्ता उल्लेख करना चाहेगी कि संचित राजस्व अन्तर को कम करने तथा समग्र दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं, उनमें से कुछ कदम नीचे सूचीबद्ध हैं :–

(क) <u>हानि में कमी</u>

परिकल्पित परिचालन दक्षता को प्राप्त करने हेतु समग्र सुधार कार्यक्रम हेतु विभिन्न सुधार कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इनके तहत उच्च ए.टी.एण्ड सी. छीजत वाले क्षेत्रों में सीमित ऊर्जा वितरण, प्रबन्धन की गुणवता एवं निगरानी, शतप्रतिशत फीडर्स व ट्रांसफार्मस की मीटरिंग, उच्च राजस्व देने वाले उपभोक्ताओं के लिये ए.एम.आर मीटरिंग, फीडर स्तर पर ऊर्जा लेखांकन एवं अंक्षेण आदि। फीडर्स के उत्पत्ति स्थान पर प्रत्येक फीडर पर इलेक्ट्रोनिक तीन फेस मीटर्स की स्थापना जिससे कि फीडर अनुसार आपूर्तित ऊर्जा व विक्रित ऊर्जा का निर्धारण कर वास्तविक छीजत लेखांकित की जा सके तथा शतप्रतिशत फीडर मीटरिंग से अधिक छीजत वाले फीडर्स को चिन्हित कर उन पर छीजत कम करने के विशेष उपाय जैसे आपूर्ति कटौती व चोरी रोकने के सघन उपाय आदि किय जा सकें।

छीजत में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जोनल से लेकर उपखण्ड स्तर तक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाकर सम्बन्धित अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया गया है। विधुत चोरी दुरूपयोग व अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने हेतु सघन सर्तकता अभियान चलाये जा रहे है एवं संलिप्त व्यक्तियों के नाम उन्हे शर्मसार करने हेतु सार्वजनिक किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त माननीय आयोग द्वारा निर्धारित छीजत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न निवेश योजनाओं के माध्यम से पूंजीगत कार्य किये जा रहे है।

याचि के घाटे में कमी की प्रतिबद्धता हेतु विभिन्न सूचिबद्ध प्रत्येक गतिविधि के लिये समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये गये है। भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं याचि मध्य हुये त्रीपक्षीय समझौते ''उदय'' के तहत भी विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियां समयबद्ध लक्ष्य के साथ संचालित की जा रही है।

(ख) फीडर्स का विभक्तिकरणः–

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रेणी हेतु ब्लॉक में ऊर्जा वितरण करने हेतु यह आवयश्क है कि कृषि व अकृषि फीडर्स का पृथकीकरण किया जावें। वर्तमान में वास्तव पृथककरण नही

होने से ग्रामीण फीडर्स पर ब्लॉक–घण्टों में तीन फेस और शेष घण्टों में एक फेस सप्लाई दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि कृषि व अकृषि उपभोक्ताओं हेतु प्थक–प्थक फीडर्स होगें तो कृषि फीडर्स पर ब्लॉक–समय तथा अकृषि फीडर्स पर पूरे दिन तीन फेस विधुत वितरित की जा सकेगी। अतः याचिकाकर्ता फीडर्स के विभक्तिकरण हेतु सतत प्रयासरत है। जिससे की छीजत में कमी होगी।

(ग) बिलिंग दक्षता :–

बिलिंग दक्षता में सुधार हेतु याचि ने शतप्रतिशत उपभोक्ता मीटरिंग हेतु विभिन्न गतिविधियां हाथ में ले रखी है। याचिकाकर्ता द्वारा सभी उपभोक्ता मीटरिंत कर दिये गये है। विश्वस्त ऊर्जा अंकन एवं बिलिंग हेतु सभी फ्लेट रेट उपभोक्ताओं के भी मीटर लगाने का कार्यक्रम जारी है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी मीटर्स का सही पठन सही समय पर हो तथा दोषपूर्ण मीटर्स भी ज्ञात होने के दो माह की अवधि में बदल दिये जावें।

ए.एम.आर मीटरिंग से मानवीय दखल में कमी होगी और बिलिंग व राजस्व निर्धारण में अतिरिक्त दक्षता आयेगी। अतः प्रथमतः उच्च राजस्व वाले उपभोक्ताओं पर प्रथम चरण में ए.एम.आर मीटर्स स्थापना का कार्य किया जा रहा है। ''उदय योजना'' के अर्न्तगत भी याचिकाकर्ता का दायित्व है कि 500 युनिट/प्रतिमाह उपभोग तक वाले उपभोक्ताओं के जून 2018 तक तथा 200 यूनिट/प्रतिमाह उपभोग वाले उपभोक्ताओं के जनू 2020 तक ए.एम.आर मीटरिंग की जानी है।

(ध) विधुत तंत्र का सुदृढिकरण :–

तकनीकी छीजत को कम करने, शट–डाउन व ट्रिपिंग्स की संख्या कम करने, आपूर्ति की गुणवता बढाने हेतु याचि द्वारा उपचौकी एवं फीडर सुधार कार्यक्रम चला रहा है। याचि द्वारा लोड को संतुलित व व्यवस्थित करने हेतु विभिन्न 33 केवी उपचौकियों का नया निर्माण व 33 केवी तंत्र पर लोड संतुलन किया जा रहा है।

फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत, लाईनो का ढीलापन सही करना, लम्बे स्पानों की समाप्ती तथा ट्रांसफार्मस की री–कण्डिशनिंग आदि का कार्य चल रहा है। सब–स्टेशन सुधार कार्यक्रम के तहत फीडर्स पर सही मीटरिंग, सर्किट ब्रेकर्स व रोस्टर स्वीचेज के सुधार व स्थापना के कार्य किये जा रहे है। याचि का लक्ष्य है कि ब्रेक–डाउन पर सुधार करने की बजाय सुधारात्मक सुधार किये जावें। फीडर्स की निगरानी हेतु फीडर प्रबन्धक नियुक्त किये गये है। फीडर्स के ऊपर पूर्ण निगरानी हेतु गतिविधियों का लॉगबुक में अंकन कर नियत सुधार कार्यक्रम के मुताबिक चलना निर्धारित किया जा रहा है।

इस अतिरिक्त वितरण तंत्र की मजबूती हेतु अन्य निम्नलिखित उपाय भी किये जा रहे है:–

- तकनिकी विशिष्टताओं की समय–समय पर समीक्षा, वारन्टी की शर्ते और आपूर्तिकर्ताओं की योग्यता,

- उप–चौकियो पर नियोजित तकनिकी श्रमिको के लिये निर्धारित मानदण्डों को सूचित करना।
- वारन्टी शर्तो के अनुसार दोषपूर्ण आपूर्ति के प्रति तुरन्त प्रतिपूर्ती।
- वारन्टी रहित उपकरणों का समय सीमा में सुधार।

निगम मुख्यालय स्तर पर फीडर सुधार व उप–चौकी सुधार कार्यो की निगरानी की जाती है जैसे कि प्रमि माह प्रति फीडर वार वितरण व्यवधानों की संख्या आदि।

(ड़) लागत का अधिकतम उपयोग

दक्ष ऊर्जा क्रय प्रबन्धन, लक्षित पूर्वानुमान, भार–वक्र का सुदृढिकरण, सामग्री का बेहतर प्रबन्धन आदि हेतु सूचना प्रौधोगिकी का सहारा लेकर बेहतर प्रणाली के साथ क्रियान्वयन की योजना है। विशेष रूप से द्वी पक्षीय समझौते या ऊर्जा एक्सचेज से सस्ती ऊर्जा क्रय करने का याचि विधुत क्रय प्रबन्ध हेतु विशेष प्रयास कर रहा है अन्य प्रयासों जैसे कि मंहगे विधुत क्रय–अनुबन्धों को सर्मपण करने तथा जब परिवर्तनीय दर द्विपक्षीय या एक्सचेन्ज से ज्यादा हो तो, इनसे कम विधुत क्रय करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

याचि द्वारा भावी भार की पूर्व सटीक कल्पना करने हेतु भी उपाय किये है जिससे कि ऊर्जा क्रय लागत पर अधिक / कम ऊर्जा आहरण से होने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। इन उपायों से लागत का अधिकतम उपयोग व राजस्व घाटा कम करने में सहायता मिलेगी।

(च) सतर्कता अभियानः–

वाणिज्यिक घाटे को कम करने के लिये याचिकाकर्ता द्वारा विशेष आक्रामक सर्तकता तथा विधुत चोरी विरोधी सघन अभियान चलाये जा रहे है। फलस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में सतर्कता से अर्जित राजस्व में वृद्धि हुई है। विगत वर्षो में विधुत चोरी के प्रकरण जो कि एक अपराध है, कम्पाउण्डिग किये गये है। तथा अभियोजन कम हुए है। सतर्कता दलों के साथ साथ याचिकाकर्ता के लिये भी यह चुनौतीपूर्ण कार्य है जिससे निपटा जा रहा है और अधिकाधिक प्राथमिक सूचनायें पुलिस में दर्ज करायी जा रही है।

(छ) निजी क्षेत्र की भागीदारीः–

विधुत क्षेत्र की केन्द्रीय वित्तिय पुर्नगठन योजना 2012 के प्रावधानानुसार वितरण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना अनिवार्य शर्तो में एक थी। ''उदय योजना'' के द्वारा निर्देशित दक्षता में समयबद्ध रूप से सुधार करना एवं वांछित परिणाम देने के विशिष्ट लक्ष्य हेतु भी इस मार्ग को अनिवार्य रूप से अपनाने की जरूरत है। राजस्थान में भी प्रथमतः चरणबद्ध रूप में 7–8 कस्बों/क्षेत्रों में आगत आधारित वितरण फ्रेन्चाइजी देने की योजना है।

(ज) मांग पक्ष प्रबन्धन

मांग अनुरूप विद्युत क्रय की लागत को कम करने के लिए मांग पक्ष प्रबन्धन एक बेहतर लागत प्रभावी मार्ग है। उद्दीपन बल्बों को एलईडी से बदला जा रहा है। स्थानीय विकास निकायों की सहायता से विद्यमान पथ रोशनियों को भी ऊर्जा दक्ष पथ रोशनियों से बदला जा रहा है।

(झ) ग्राहक सेवा ध्यान केन्द्रिकरण :–

केन्द्र सरकार के साथ हुये समझौते अनुसार सभी उपभोक्ताओं (कृषि को छोडकर) को 24X7 घण्टे विश्वसनीय एवं गुणवतापूर्ण विधुत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु याचि प्रतिबद्ध है। इस हेतु याचि द्वारा प्रत्येक 33 केवी उपचौकी से पृथक तीन फेस फीडर 3000 से ऊपर की आबादी वाले कस्बों हेतु डालने की योजना पर कार्य कर रहा है।
इसके अतिरिक्त भी विश्वसनीय एवं गुणवतापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने की अनेक योजनायें चलाई जा रही है। याचिकाकर्ता से ग्राहकों के सीधे संवाद एवं मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होने बाबत सूचना प्रौधोगिकी अपनाई जा रही है। नये विधुत सम्बन्ध आवेदन से लेकर बिल भुगतान हेतु सुविधाये ऑनलाईन उपलब्ध है। याचिकाकर्ता ने केन्द्रिकृत ग्राहक सेवा केन्द्र खोले है। जिनपर करन्ट व अन्य तकनीकी, दोषी कर्मचारी–अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार विधुत चोरी तथा सुरक्षा आदि सम्बन्धी शिकायतों की रिपोर्टिग व निपटान की सूचनायें टेलीफान के माध्यम से दी जा रही हैं। सेवा केन्द्रों में सेवा के स्तर में वृद्धि के मानक बनाये गये है। और उपभाक्ताओं को ''एस.एम.एस'' के माध्यम से जानकारी भी दी जाती है। उपभोक्ताओं तक अधिक पहुॅच के लिये सामाजिक मीडिया के संसाधन काम में लिये जा रहे है। बिल भुगतान हेतु नेट बैकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से ई–भुगतान की सुविधाये भी प्रदान की गयी है।

(ट) सुरक्षा सम्बन्धी उपाय :–

डिस्कॉम द्वारा जन–सामान्य तथा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में अभिज्ञात कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में, डिस्कॉम द्वारा विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित है :

i. फीडर सुधार कार्यक्रम (फीसुका) –

इस कार्यक्रम की प्रमुख विशिष्टितायें निम्नानुसार हैः–

- ढीले तारों को कसना
- झुके हुये खम्भों को सीधा करना
- पर्याप्त सतही क्लीयरेन्स प्रदान करने हेतु लम्बे फैलाव में, खम्भों की सन्निविष्टि
- एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों का दुरूस्तीकरण
- तीन फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों का दुरूस्तीकरण
- अप्रचलित एबी केबिल का प्रतिस्थापन
- एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों की क्षमता संवर्धन
- एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों की अर्थिंग

- 33/11 केवी सब–स्टेशनों के समीपस्थ गांवों में तीन फेज तन्त्र की स्थापना
- ढ़ीले एबी केबिल को कसना
- एम–सील लगाना/बिना सील वाले केबिल बिन्दुओं की मरम्मत
- इन्श्यूलेटेड कनेक्टरों की स्थापना
- दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन
- ट्रान्सफार्मर पठन प्लेटफार्म आदि

ii. सब–स्टेशन सुधार कार्यक्रम (सस्टेसुका)

इस कार्यक्रम की प्रमुख विशिष्टतायें निम्नलिखित हैं :

1. अकार्यशील रोस्टर स्विचों का प्रतिस्थापन
2. नये रोस्टर स्विचों की अधिष्ठापना
3. अकार्यशील सर्किट ब्रेकरों की मरम्मत/का प्रतिस्थापन
4. नये सर्किट ब्रेकरों की अधिष्ठापना
5. अकार्यशील फीडर मीटरों की प्रतिस्थापना
6. नये फीडर मीटरों की अधिष्ठापना
7. 33 केवी सब–स्टेशन/ पावर ट्रान्सफार्मरों आदि पर अर्थिंग का सुधार

iii. प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सामाजिक चेतना

आमजन को सुरक्षित तथा विश्वसनीय सेवा प्रदान करने के अपने प्रयासों में डिस्कॉम, अपने कर्मचारियों को सधन प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रही है। जन–सामान्य तक व्यापक पहुंच के उद्देश्य से सोशल मीडिया तथा अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से यह उपभोक्ता चेतना का प्रचार–प्रसार करती आ रही है।

7.3 इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि उपरोक्त समुचित उपाय करने के बाद भी भविष्य में घाटे और राजस्व के अन्तर की पूर्ति बिना टैरिफ संशोधन के कठिन है किन्तु वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में टैरिफ में कोई बढोतरी प्रस्तावित नही की गयी है।

7.4 हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा संसाधनों के बेहतर उपयोग और बेहतर राजस्व प्रबन्धन हेतु कुछ टैरिफ युक्तिकरण के उपायों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

टैरिफ युक्तिकरण

7.5 याचिकाकर्ता 2016–17 के लिए स्त्रोतो का बेहतर उपयोग, कम दर एवं बेहतर राजस्व प्रबंधन के लिए निम्नलिखित टैरिफ युक्तिकरण प्रस्तुत करती है।

लोड फैक्टर छूट

7.6 किसी भी उपभोक्ता का लोड फैक्टर उसके द्वारा विधुत की खपत के तरीके और अनुबन्धित मांग के उपयोग को इंगित करता है। विधुत खरीद का पूर्वानुमान और योजना बनाने, तंत्र के बुनियादी ढाचें की सुरक्षा व संर्वधन विधुत मांग हेतु जुड हुये उपभोक्ता के सम्बध भार व उपयोग के तरीको के आधार पर सुनिश्चित की जाती है। विधुत खपत के तरीको में बार–बार एवं अधिकाधिक बदलाव याचि के ऊर्जा तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है। साथ ही इससे विधुत क्रय की पूर्वयोजना–आवश्यकता

प्रभावित होकर विचलन से होने वाली विधुत क्रय लागत को बढाती है। शास्ती आरोपित होती है तथा वितरण तंत्र अस्वस्थ होता है। अतः तंत्र के स्थायित्व, खरीद की उत्तम व सटीक अनुमान योजना हेतु लोड में कम से कम विचलन होना चाहिए।

7.7 अतः लोड फैक्टर में कम से कम विचलन हेतु ''वृहद औधोगिक उपभोक्ता श्रेणी'' के उपभोक्ताओं को याचिकाकर्ता द्वारा लोड फैक्टर छुट दिया जाना प्रस्तावित है। अतः इस श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जो बिलिंग अवधि में अपना लोड फैक्टर 50 प्रतिशत या उससे ऊपर रखेगें को ऊर्जा प्रभार में 0.15 रूप्ये प्रति यूनिट की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

7.8 यह छूट लोड फैक्टर 50 प्रतिशत से ऊपर होने पर दी जायेगी।

पावर फैक्टर छूट

7.9 उल्लेखिनीय है कि अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तंत्र के लिये निम्न पावर फैक्टर नुकसान दायक है। सम्बध भार की प्रकृति से पावर फैक्टर नियंत्रणीय है। निम्न पावर फैक्टर तंत्र पर उपपादन लोड होने की वजत से होता है। इसकी वजह से तंत्र की वास्तविक कार्य क्षमता कम होकर तंत्र ओवर लोड हो जाता है। वोल्टेज कम हो जाते है और छीजत बढ जाती है।

7.10 सुदृढ आर्थिक परिचालन हेतु कम पावर फैक्टर के कारण विधुत तंत्र के बुनियादी ढाचे की कार्य क्षमता क्षीण होने पर उसके पुर्नसंचालन / संवर्धन हेतु आवश्यक उपायों की भी आवश्यकता है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पावर फैक्टर एक उचित मानक पर विश्वसनीय और किफायती संचालन हेतु बनाये रखा जाएं।

7.11 सुदृढ पावर फैक्टर के मुकाबले कम पावर फैक्टर से होने वाले कुछ क्षतिगत प्रभाव निम्न हैः–

- कम पावर फैक्टर पर तंत्र अधिक करन्ट लेता है,
- कम पावर फैक्टर अधिक अन्तः करन्ट मांग करता है जिससे अधिक उष्मा उत्पन्न होती है और संयत्रों को खराब करती है तथा उनकी आयु क्षीण करती है
- प्रतिक्रियाशील भार वृद्धि से निर्गमित वोल्टेज भी कम हो जाते है जो संवेदनशील उपकरणों को खराब कर देते है।

7.12 क्षीण पावर फैक्टर के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुये तथा समृद्ध पावर फैक्टर सुनिश्चित करने हेतु शास्ती/छूट के प्रावधान वर्तमान में भी प्रभावी है। तथापि यह सुनिश्चित करना कि वर्तमान संरचना में छूट से उपार्जित लाभ नेटवर्क को मिले इसलिये वर्तमान संरचना में संशोधन प्रस्तावित है। पावर फैक्टर छूट से उपार्जित लाभ प्रति प्रतिशत सुधार के अनुरूप मिले। अतः निम्न श्रेणीबद्ध प्रकार से पावर फैक्टर छूट करने क प्रस्ताव है।

7.13 यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95%) से अधिक तथा 0.97 (97%) तक है तो प्रत्येक 0.01 (1%) सुधार हेतु 0.5 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार में छूट दी जाना प्रस्तावित है। औसत

पावर फैक्टर 0.97 (97%) से अधिक है तो प्रत्येक 0.01 (1%) सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार में 1 प्रतिशत छूट दी जाना प्रस्तावित है।

7.14 जहां उपभोक्ता परिसर में मीटर्स केन्द्रिय विधुत प्राधिकरण (परिचालन एवं मीटर्स) विनियम–2006 के अनुरूप स्थापित है उन प्रकरणों में औसत पावर फैक्टर छूट, पावर फैक्टर 0.95 (95%) से अधिक किन्तु 0.97 (97%) तक, तो प्रत्येक 0.001 (0.1%) सुधार पर 0.05 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार में छूट दी जाना प्रस्तावित है। यदि औसत पावर फैक्टर 0.970 (97%) से अधिक है तो प्रत्येक 0.001 (0.1%) सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार में 0.1 प्रतिशत छूट दी जाना प्रस्तावित है।

7.15 जिन प्रकरणों में औसत पावर फैक्टर 0.90 (90%) से कम रहता हैं उन पर प्रत्येक 0. 01 (1%) गिरावट हेतु 1 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार के बराबर शास्ती आरोपित करने का प्रस्ताव है। जहां उपभोक्ता परिसर में मीटर्स केन्द्रिय विधुत प्राधिकरण (परिचालन एवं मीटर्स) विनियम–2006 के अनुरूप स्थापित है उन प्रकरणों में औसत पावर फैक्टर 0. 900 (90%) से कम रहता हैं तो प्रत्येक 0.001 (0.1%) गिरावट पर 0.1 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार के बराबर शास्ती वसूल किया जाना प्रस्तावित है।

7.16 यदि औसत पावर फैक्टर 0.70 (70 प्रतिशत) से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता परिसर का विधुत सम्बध विच्छेद कर दिया जायेगा तथा जब तक पावर फैक्टर संर्वधन याचिकाकर्ता की सन्तुष्टि तक नही हो, पुर्नस्थापित नही किया जायेगा।

वोल्टेज छूट

7.17 वोल्टेज छूट एच.टी. उपभोक्ता को उसके वोल्टेज सापेक्षिक वोल्टेज पर जुडे होने के आधार पर दी जाती है। उच्च वोल्टेज पर जाने के लिये एच.टी. उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन स्वरूप यह छूट है। यद्यपि श्रेणीवार ऊर्जा प्रभार सभी एच.टी. उपभोक्ताओं के लिये श्रेणी अनुसार समान है, किन्तु उच्च दाब पर विधुत सम्बन्ध लेने पर उस दाब क्षमतानुसार वोल्टेज छूट दी जाती है।

7.18 उच्च दाब वोल्टेज पर तंत्र व वितरण हानियां कम होती है। अतः उसी लाभ को उपभोक्ताओं के साथ साझा किया जाता है। हालांकि उच्च दाब से व केवल ऊर्जा बचत के लाभ ले रहे है, किन्तु स्थाई प्रभार पर कोई प्रभाव नही है। तथापि उच्च दाब वाले वितरण तंत्र का रख रखाव व्यय निम्न दाब तंत्र के सापेक्ष में अधिक व्ययपूर्ण है।

7.19 तदन्तर निवेदन है कि याचिकाकर्ता के स्थाई खर्चो के समकक्ष स्थाई प्रभारों की वसूली अपर्याप्त होने से वोल्टेज रिबेट द्वारा ऊर्जा प्रभार व स्थाई प्रभार में छूट दिया जाना अनुकूल नही है।

7.20 इसी प्रकार से एक एल.टी. उपभोक्ता, एच.टी. पर आपूर्ति प्राप्त करता है तो उसे विपत्रित राशि (ऊर्जा प्रभार व स्थाई प्रभार) पर 7.5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। ऐसे प्रकरण में भी केवल ऊर्जा प्रभार पर ही छूट दिया जाना न्यायोचित है।

7.21 अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर याचिकाकर्ता माननीय आयोग से वोल्टेज छूट प्राप्त करने की प्रयोज्यता को पुर्न परिभाषित करने का निवेदन करता है कि वोल्टेज रिबेट केवल ऊर्जा प्रभार पर ही दिया जाना चाहिये स्थाई प्रभारों पर नही। यह विधुत की

उचित आर्थिक मूल्य निर्धारण एवं उच्च दाब पर विधुत आपूर्ति के लाभो को इंगित करेगा।

घरेलू सेवा (अनुसूची – डी.एस/एल.टी. – 1)

7.22 एक नये उपभोक्ता के प्रकरण में स्थाई प्रभार, प्रथम छः माह के लिये सबसे कम स्लेब के अनुसार लिया जाता है। उसके बाद विगत छः माह की औसत खपत के आधार पर औसत प्रभार लिया जाता है। प्रकरण में स्पष्टता प्रदान करने हेतु उल्लेखित टिप्पणी में निम्न प्रकार संशोधन प्रस्तावित है ''स्थाई प्रभार पिछले वित्तिय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लगाया जाएगा। नये उपभोक्ता के मामले में प्रथम छः माह के लिए स्थाई प्रभार सामान्य घरेलू श्रेणी की सबसे कम स्लेब दर पर लगाया जाएगा तथा इसक पश्चात छः माह के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लिया जाएगा।''

7.23 उपरोक्त उल्लेखित परिवर्तन से स्पष्ट हो जाएगो कि प्रथम छः माह के लिये स्थाई शुल्क राशि, सामान्य घरेलू श्रेणी –1 (छोटे घरेलू उपभोक्ता श्रेणी नही) के अनुरूप ली जायेगी। यह उल्लेख है कि एक नए उपभोक्ता का केवल सामान्य घरेलू कनेक्शन दिया जाता है। छोटे उपभोक्ता को निर्धारित छूट देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसकी विधुत खपत किसी भी माह में 50 युनिट से अधिक नही हुई हों।

शीघ्र भुगतान छूट

7.24 ऐसे उपभोक्ता जो कि अपने बिल का भुगतान नियत दिवस से सात कार्य दिन पूर्व ही कर देते है को ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार पर 0.15 प्रतिशत की छूट अगले बिल मे समायोजित करने के प्रावधान लागू है। याचिकाकर्ता शीघ्र भुगतान को प्रौत्साहन करने हेतु इस बाबत और छूट देना प्रस्तावित करता है जिससे नकदी प्रवाह बढने में सहायता मिलेगी।

7.25 तदनुसार याचिकाकर्ता द्वारा बिल भुगतान की नियत तिथि से 12 दिन पहले भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार व स्थाई प्रभार पर 0.75 प्रतिशत छूट उसके अगले बिल में समायोजित कर देने का प्रस्ताव है।

अस्थाई आपूर्ति के लिए टैरिफ

7.26 वर्तमान में अस्थायी टैरिफ के मामले में उस श्रेणी की स्थाई टैरिफ प्लस 50 प्रतिशत ली जाती है। इसे दो माह के लिए स्थायी टैरिफ प्लस 10 प्रतिशत के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परिवर्तन उपभोक्ताओं के समूह ट्रस्ट और समाज के कार्यक्रम और एक उपभोक्ता ओर निर्माण कार्य के लिए लागू होगा। यह केवल मेलों, प्रदर्शनियों और सजवटी प्रयोजनों के लिए लागू होगी। दो माह के पश्चात् मौजूदा प्रावधान (स्थायी टैरिफ प्लस 50 प्रतिशत) लागू होगी।

एच टी उपभोक्ताओ के लिए संविदा मांग से अधिक मांग की धारा

7.27 वर्तमान में एक उपभोक्ता अपनी संविदा मांग की तुलना से अधिक मांग करने के लिए अनुमत नहीं है। यदि वह किसी माह में संविदा मांग में 105 प्रतिशत से अधिक मांग करता है तो विच्छेदित किये जाने के अतिरिक्त उसे स्थायी तथा ऊर्जा प्रभावों का उसी प्रतिशत में अतिरिक्त संदाय करना होगा, जिस प्रतिशतता की मांग वास्तव में

अधिक की गयी है।

7.28 यह प्रस्ताव है कि इस तरह के मामलों में यह सीमा राञि घंटो (22:00–6:00 घंटे) के लिये डिस्कॉम से ऊर्जा लेने की स्थिति में 120 प्रतिशत तक वृद्धि की जाये। ओपन एक्सस से ऊर्जा खरीद के मामले में विचार नहीं किया जाएगा। दिन के समय में (06:00–22:00 घंटे) मौजूदा धारा को रखा जाये।

7.29 अतः माननीय आयोग से उपरोक्त वर्णित टैरिफ वृद्धि एवं टैरिफ युक्तिकरण के उपायों का अनुमोदन प्रार्थनीय है।

अ 8: दिनांक 22 सितम्बर 2016 के टैरिफ आदेश में माननीय आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना

8.1 नीचे दी गयी सारणी, माननीय आयोग द्वारा पिछली वाराआ तथा टैरिफ आदेश में दिये गये निर्देशों की मुद्देवार अनुपालना को सारांशित करती है :

सारणी 37: निर्देशों की अनुपालना

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	अनुपालना रिपोर्ट
1.	**याचिका को समुचित दायर करना** भविष्य में डिस्कॉम द्वारा याचिका दायर करते समय सभी आवश्यक जानकारी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म में उपलब्ध कराई जाये ताकि इस संबंध में किसी भी शिकायत की जगह न रहे और आयोग याचिका का शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम हो।	याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप में जानकारी देने के वास्तविक प्रयास किये है। हालांकि कुछ स्थानों पर याचिकाकर्ता की कोशिशों के बावजूद जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इस तरह के कॉलम खाली छोड दिये गये है और उचित कारण का उल्लेख किया गया है।
2.	**शहरी फ्लेट से मीटर उपभोक्ता में रूपांतरण :** अगली याचिका दायर करने से पूर्व शहरी फ्लेट दर उपभोक्ता को मीटर उपभोक्ता में परिवर्तन की जानकारी उपलब्ध कराई जाये अन्यथा इस तरह के उपभोक्ताओं का संपूर्ण उपभोग एआरआर में दंड स्वरूप अनुमत नहीं किया जायेगा।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करती है कि सभी शहरी फ्लेट दर कृषि उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगा दिये गये है।
3.	**हानि में कमी :** उदय योजना में डिस्कॉम ने 15 प्रतिशत हानि के स्तर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। डिस्कॉम आयोग को प्रस्तुत कस्बों/उप–संभाग के आंकडों, जहां भी हानि 15 प्रतिशत से ज्यादा है देखे और हानि को 15 प्रतिशत तक घटाने के प्रभावी कदम उठाये। इस संबंध में की गई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट डिस्कॉम आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करती है कि हानि के स्तर के निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिये शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्र में हानि में कमी कार्यक्रम मौजूदा बुनियादी ढांचे और घरेलू और अन्य कनेक्शन के संबंध में तकनीकी हस्तक्षेप से चालू किया है। क्षेत्र के अधिकारियों को इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये निर्देश दिये गये है ताकि हानि स्तर को धीरे धीरे उदय योजना के अनुरूप कम किया जा सके। इस संबंध में आदेशों की प्रति

		अनुलग्नक 3 में संलंग्नित है।
4.	**ऊर्जा लेखांकन और अंकेक्षण :** राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन दायित्व अधिनियम, 2016 के अनुसार ऊर्जा लेखांकन और अंकेक्षण और समयबद्ध सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग का रोड मेप छः माह में तैयार किया जायेगा और उसका आयोग से अनुमोदन मांगा जाएगा। उक्त अधिनियम के लागू करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर उपभोक्ता अनुक्रमण पूरा किया जायेगा।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करती है कि वित वर्ष 2017 में एटी एंड सी हानि में कमी का रोड मेप त्रैमासिक लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। त्रिमाही प्रगति की तुलना में प्राप्त लक्ष्य **अनुलग्नक 4** पर संलग्नित है। इसके अलावा 11केवी फीडर पर ऊर्जा लेखांकन नेटवर्क अनुक्रमण माड्यूल (एनआईएम) के तहत शूरू किया गया है। इसके अलावा निगम के 155 उपसंभाग में ऊर्जा लेखांकन का कार्य आदेश क्रमांक 1581 दिनांक 06.12.2016 द्वारा मैं. पीडब्लूसी को दिया गया है जोकि प्रगति पर है।
5.	**वोल्टेज के अनुसार आपूर्ति की लागत** : उदय योजना के समझौता ज्ञापन के अनुसार भविष्य में डिस्कॉम फीडर पैमाइश, डीटी पैमाइश और फीडर के पृथक्करण और ऊर्जा अंकेक्षण के कार्य से वोल्टेज के अनुसार आपूर्ति की लागत निकालने में सक्षम हो जायेगा। इस मामले में किसी भी विशेषज्ञ की सहायता की जरूरत है तो वे उन्हें अनुबंधित करे और अगली दर याचिका दायर करने तक वोल्टेज के अनुसार आपूर्ति की लागत निर्धारित करे।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करती है कि 11केवी फीडर मीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। हालांकि फीडर के पृथक्कीकरण तथा डी.टी. पैमाइश का कार्य प्रगति पर है । उक्त कार्य पूर्ण होने पर वोल्टेज अनुसार हानि और आपूर्ति की लागत के लिये आवश्यक बुनियादी मानक उपलब्ध हो पायेगे।
6.	**स्थिर संपति रजिस्ट्रर तैयार करना** : आयोग के अनुसार डिस्कॉम को पुराने डेटा का पता लगाना मुश्किल है पर असंभव नहीं। इसलिए डिस्कॉम स्थाई संपति रजिस्ट्रर उपलब्ध डेटा से तैयार कर सकता है भविष्य में याचिकाकर्ता संपति रजिस्ट्रर तैयार रख सकता है ताकि पूर्व अवधि की कठिनाई का दुबारा सामना नहीं करना पडे। डिस्कॉम की सभी संपति का लेखांकन व सुरक्षित होना चाहिए क्योंकि यह सार्वजनिक संपति है जिसे संरक्षित रखना चाहिए और डिस्कॉम के भविष्य में काम आयेगी। हाल ही में अधिनियम	वर्ष 2009–10 तक स्थाई संपति रजिस्ट्रर तैयार कर लिया गया है। वि.व. 2009–10 से 2011–12 तक का कार्य मैं. संचेती एंड कंपनी को आउटसोर्स कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। जबकि 2013–14 और 2014–15 की स्थाई संपति रजिस्ट्रर तैयार कर लिया गया है और वि.व. 2015–16 का कार्य प्रगति पर है। 31.03. 2016 तक की मात्रात्मक जानकारी और भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र की जानकारी प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है।

	''राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन दायित्व अधिनियम 2016'' की धारा 7(2) के अनुसार अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार दो साल के भीतर वितरण लाइसेंसधारी भौतिक सत्यापन और स्थाई संपति रजिस्ट्रर पूर्ण करें।	
7.	**उपभोक्ता शिक्षा :** डिस्कॉम उपभोक्ताओं को बचत पंप, पंखे और एयर कंडीशनर की उपलब्धता की जानकारी देने की व्यवस्था करे ताकि उपभोक्ता इन्हें ऊर्जा खर्च में बचत के रूप में अपना सके। डिस्कॉम भी अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये इस तरह की योजनाओं का विस्तार करने का विचार कर सकती है।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करती है कि वह उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्ष उपकरण और विद्युत ऊर्जा को विवेकपूर्ण तरीके से काम में लेने के लिये लगातार शिक्षित करता है। उपभोक्ता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए निगम ने उपभोक्ता पत्र हिन्दी व अंग्रेजी में जारी किया है जिसमें विद्युत कनेक्शन सुरक्षा उपाय, ऊर्जा संरक्षण उपाय, उपभोक्ता शिकायत मंच और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। ये पुस्तिकायें ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिये उपखंड स्तर तक भेजी गई है। उप खंड स्तर पर आयोजित चौपाल में उपभोक्ताओं को ऊर्जा संरक्षण उपकरणो का उपयोग कर ऊर्जा संरक्षित करने के तरीके बताये जाते है। इसके अलावा कई वृत में स्कूल में अभियान चला कर बच्चों और जुडे स्टाफ को ऊर्जा बचत करने और अपने परिवार के सदस्यों को भी ऐसा करने को प्रेरित करने की शपथ दिलाई गईं। सरकारी कार्यलयों में भी इस तरह के अभियान चलाये गये। जिला प्रशासन की मीटिंग में जहां जिला परिषद, नगर वार्ड आदि के सदस्य मौजूद होते है, डिस्कॉम अधिकारियों ने ऊर्जा संरक्षण और स्टर लेबल उपकरण खरीदने के फायदे बताये।
	उदय योजना के तहत प्रस्तावित डी. एस.एम उपाय ऊर्जा कुशल पंप, पाईप और स्प्रिंकलर/डिप सिंचाई के फायदे के बारे में कृषि उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जाये। यह राजस्थान के लिये अधिक महत्वपूर्ण हैं जहां पानी की कमी है। कृषि क्षेत्र में डीएसएम की	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करती है कि डीएसएम कार्यक्रम के तहत चौमू (जयपुर) में एक पायलट परियोजना चालू कर कृषि क्षेत्र में मौजूदा पंप सेट को ऊर्जा कुशल पंप सेट से बदलना प्रस्तावित है। इस परियोजना की वितीय लागत और वास्तविक ऊर्जा बचत क्षमता के विश्लेषण

	शुरूआत से बचत अधिक है और यह किसानों के बिजली बिल में कमी से बचत करेगी डिस्कॉम के लिये लागत घाटे में कमी ओर सरकार के लिये सब्सिडी में कमी के माध्यम से नेतृत्व करेगी।	करने पर इसे अन्य क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा।
8.	**उपखंड में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधानः** हित धारकों ने यह बताया है कि जब वे उपखंड में जाते है तो उन्हें मार्ग दर्शन और सुविधा देने के लिये कोई भी नहीं है। डिस्कॉम उपभोक्ताओं को गाईड के लिये एक अधिकारी/उपभोक्ता मित्र कर्मचारी नियुक्त इस तरह की रिपोर्ट आरजीजीवीवाई कार्य एवं आरएपीडीआरपी कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत करे।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करती है कि उपभोक्ताओं के लिये बुनियादी सुविधाएं अस्तित्व में है और डिस्कॉम के सभी उपखंड में उपलब्ध है। इसके अलावा उपखंड में एक उपभोक्ता क्लर्क उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये उपभोक्ता दोस्त के रूप में होता है।
9.	**लागत लाभ विश्लेषण :** आयोग चाहता है कि डिस्कॉम निवेश योजना के तहत किये गये खर्चे का लागत लाभ विश्लेषण आयोग के विचार के लिये तीन माह में प्रस्तुत करें। इसी तरह की रिपोर्ट आरजीजीवीवाई कार्य और आरएपीडीआरपी कार्यक्रम पर भी प्रस्तुत करें।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करती है कि उप पारेषण एवं विवरण में कार्य की निवेश योजना तंत्र की विश्वसनीयता बढाने तंत्र का सुदृढीकरण और भविष्य की मांग को देखते हुए किया जाता है। निवेश के प्रस्ताव लागत लाभ विश्लेषण के पश्चात् बनाये जाते है।
10.	**दोष पूर्ण मीटरों को बदलना :** आयोग के अनुसार डिस्कॉम को नये मीटर/दोष पूर्ण मीटरों को युद्ध स्तर पर बदलना चाहिये यह केवल औद्योगिक बाध्यता नहीं है बल्कि यह ऊर्जा लेखांकन के मद्ददार है जोकि ऊर्जा अंकेक्षण के लिये आवश्यक है। डिस्कॉम उदय योजना के तहत एमआर मीटर की स्थापना की अनुसूची पालन करें।	याचिकाकर्ता दोष पूर्ण मीटर को निर्धारित समय सीमा में बदलने के संपूर्ण प्रयास करता है इसके अलावा क्षेत्र में दोष पूर्ण मीटर निर्धारित समय में बदलने के लिये दिशा निर्देश वाणिज्य/जेडीपी/ 734 दिनांक 21.10.16 जारी किया गया है (**अनुलग्नक–5**) । जिसमें एआरओ, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, सहायक भंडार नियंत्रक के कर्त्तव्यों के साथ दोष पूर्ण मीटर बदलने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से वर्णित है। अक्टूंबर 2016 तक कुल मीटर की तुलना में केवल 4.9 प्रतिशत दोषपूर्ण मीटर विद्यमान है।
11.	**सुरक्षा नियमों की अनुपालना :**	

	अगर याचिकाकर्ता सुरक्षा नियमों की अनुपालना के लिये कोई पैसा खर्च करना चाहता है तो उसे निवेश योजना/एआरआर के माध्यम से किया जा सकता है और आयोग कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सुरक्षा नियमों की अनुपालना के लिये खर्चे को 2015–16 की सत्यापन ओर बाद के वर्षों की एआरआर में विचार करने को तैयार है।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करती है कि सीईए सुरक्षा अधिनियम 2010 की अनुपालना करने के लिये क्षेत्र अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दिये जाते है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है जिसमें सुरक्षा अधिनियम के अनुसार सुरक्षा उपायों को विस्तार से बताया जाता है। साथ ही अध्यक्ष डिस्कॉम के आदेश दिनांक 06.05.16 के द्वारा सुरक्षित बिजली अभियान लागू किया गया (**अनुलग्नक–6**) । इसके अलावा दिनांक 19.07.16 को आयोजित ऊर्जा दिवस पर प्रत्येक कर्मचारी ने विद्युत लाईन/प्लांट से सुरक्षा, विद्युत दुर्घटना को कम करने और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग में लाने की शपथ ली गई। शपथ की प्रति **अनुलग्नक–7** में संलग्नित है।
12.	**उदय योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य की पालना**	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करती है कि उदय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विभिन्न अधिकारियों को आवश्यक गतिविधियों निर्धारित समय में पूर्ण हो के लिये पहल मालिक के रूप में नामित किया है और प्रत्येक गतिविधि को मासिक निगरानी की जाती है। इसे अनुलग्नक 8 में सलंग्नित किया गया है।
13.	**ऊर्जा का अंकेक्षण :** डिस्कॉम ने कहा है कि फीडर पर मीटर लगाने का कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण हो जायेगा। इसको ध्यान में रखते हुये आयोग यह विचार रखता है कि डिस्कॉम ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य मीटर रीडरों के आधार पर करें। बिना मीटर उपभोक्ता विशेषतः कृषि श्रेणी उपभोक्ता को अलग–अलग मीटर लगाने के साथ ही डिस्कॉम फीडर पर मीटर लगाने की जांच करें और इसके डेटा से वास्तविक उपभोग पर पहुंचे और चोरी के मामले में उचित कार्यवाही करें।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करती है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 11 केवी फीडर पर मीटर लगाने का कार्य पूर्ण हो गया है। 11केवी फीडर की ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य मैं. यादव मेजरमेंट प्राइवेट लिमिटेड को एसई (एम एंड पी) के पत्र क्रमांक 475 दिनांक 20.05.16 के द्वारा दिया गया है जो सभी फीडर की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस आदेश के तहत कार्य जारी है। फीडर पर मीटर लगाने का कार्य पूर्ण हो गया है। इसके अलावा सभी 155 उपखंड की ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य मुख्य लेखाधिकारी (बी एंड आर) द्वारा आदेश क्रमांक 1581 दिनांक 06.12.16 के द्वारा मै. पी डब्ल्यू सी को दिया गया है और बिना

		मीटर और गैर उपभोक्ता को बेची गई ऊर्जा की सत्यता का सत्यापन भी इस दायरे में है। यह कार्य प्रगति पर है।
14.	**ई आर पी क्रियान्वयन :** आयोग के अनुसार ई आर पी क्रियान्वयन एक ठोस और अच्छा कदम है और तेजी से लागू किया जाना चाहिये। इसके अलावा डिस्कॉम के प्रबंधन निदेशक सामग्री प्रबंधन और सूची प्रबंधन पर नजर रखे ताकि कार्यों के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो और साथ ही सामग्री की अतिरिक्त खरीद न हो।	राजस्थान डिस्कॉम में ई आर पी क्रियान्वयन आईपीडीएस योजना में सम्मिलित किया गया है। जयपुर डिस्कॉम में. डेलोइट से आई पेशेवर ईआरपी में विशेषज्ञ को अनुबंधित करने की कार्यवाही कर रहा है।

Note : Annexure 1 and 2 are Audited Accounts for FY 2015-16 and Tariff for supply of electricity-2016 respectively

ukV:–मूल अंग्रेजी याचिका व इसके हिन्दी रूपान्तरण के आकडें/ भावार्थ में किसी भी स्तर पर विरोध होने पर मूल अंग्रेजी याचिका के आकडें/भावार्थ ही अन्तिम निर्णायक समझा जावें।

v 9% ikFkuk

9.1 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. आयोग से निवेदन करता है कि –

- वित वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता की यह याचिका स्वीकार करें।
- वित वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु इस याचिका के साथ संलग्न फार्मस व याचिका के प्रस्तुतिकरण में निवेदित सिद्धान्त व कार्य विधि को अनुमोदित करें।
- टैरिफ अनुसूची में प्रस्तावित परिवर्तनों का अनुमोदन करें।
- याचिका की त्रुटि भुल सुधार एवं विलम्ब को क्षमा कर संशोधन का अवसर प्रदान करें।
- इस याचिका में आवश्यकता होने पर पुनः प्रस्तुतिकरण व संशोधन आदि करने का अवसर प्रदान करें।

अति. मुख्य अभियन्ता (एचक्यू)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर